



भारत सरकार  
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 258

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरा-ट्रीय संगठन के  
पदधारी रिश्व निवारण - एक अध्ययन और  
प्रस्तावित संशोधन

अगस्त, 2015

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा  
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय  
अध्यक्ष  
भारत का विधि आयोग  
भारत सरकार  
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस  
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001  
दूरभाषा : 23736758 फ़ैक्स : 23355741



**Justice Ajit Prakash Shah**  
Former Chief Justice of Delhi High Court  
Chairman  
Law Commission of India  
Government of India  
Hindustan Times House  
K.G. Marg, New Delhi-110 001  
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)286/2015-एल.सी.(एल.एस.)

तारीख : 27 अगस्त, 2015

प्रिय श्री सदानन्द गौड़ा जी,

संयुक्त रा-ट्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक 15वीं लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दि-ट किया गया । 15वीं लोक सभा की अवधि की समाप्ति पर, विधेयक व्यपगत हो गया और अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नया विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है । प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह पर, प्रस्तावित विधेयक को इस वर्- जुलाई में भारत के विधि आयोग को अपने विचार/सिफारिश देने के लिए निर्दि-ट किया गया ।

आयोग ने “विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी निवारण - एक अध्ययन और प्रस्तावित संशोधन” शी-र्क रिपोर्ट सं. 258 को आकार देने के लिए व्यापक विचार-विमर्श, चर्चा और प्रारूप विधेयक और इससे जुड़े मुद्दों का गहन अध्ययन किया ।

सादर,

भवदीय

ह0/-

(अजित प्रकाश शहा)

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा  
माननीय विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली - 110 001

निवास : 1, जनपथ, नई दिल्ली

रिपोर्ट सं. 258

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी का रिश्वत निवारण -  
एक अध्ययन और प्रस्तावित संशोधन

वि-नय-सूची

| अध्याय | शीर्षक  | पृ-ठ |
|--------|---|------|
| 1.     | प्रस्तावना  | 5    |
| 2.     | संयुक्त रा-द्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन की व्याप्ति और प्रयोज्यता                                    | 8    |
| 3.     | अन्य अधिकारिताओं में रिश्वत संबंधी विधियां  | 17   |
|        | क. आस्ट्रलिया   | 17   |
|        | ख. आस्ट्रिया  | 18   |
|        | ग. कनाडा  | 20   |
|        | घ. ईल सल्वाडोर  | 22   |
|        | ङ मलेशिया   | 23   |
|        | च कोरिया गणतंत्र (दक्षिणी कोरिया)   | 25   |
|        | छ. दक्षिणी अफ्रीका  | 26   |
|        | ज. स्विटजरलैंड  | 27   |
|        | झ. यूनाइटेड स्टेट्स   | 29   |
|        | ञ. यूनाइटेड किंगडम  | 31   |
| 4.     | विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 का आलोचनात्मक विश्ले-नण | 34   |
| 5.     | विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 का खंडवार विश्ले-नण     | 35   |
|        | क. उद्देशिका  | 35   |
|        | ख. खंड 1  | 36   |

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| ग.            | खंड 2   | 38           |
| घ.            | खंड 3   | 41           |
| ङ             | खंड 4   | 42           |
| च.            | खंड 5   | 48           |
| छ.            | खंड 6   | 49           |
| ज.            | खंड 7   | 49           |
| झ.            | खंड 8   | 50           |
| ञ.            | खंड 9   | 51           |
| ट.            | खंड 10  | 52           |
| ठ.            | खंड 11  | 54           |
| ड.            | खंड 12  | 54           |
| ढ.            | खंड 13  | 55           |
| ण.            | खंड 14  | 55           |
| त.            | खंड 15  | 55           |
| थ.            | खंड 16  | 56           |
| द.            | खंड 17  | 56           |
| ध.            | खंड 18  | 56           |
| न.            | खंड 19  | 57           |
| प.            | खंड 20  | 57           |
| फ.            | खंड 21  | 58           |
| ब.            | खंड 22  | 58           |
| भ.            | अनुसूची | 58           |
| <b>उपाबंध</b> |         | <b>61-76</b> |

## अध्याय 1

### प्रस्तावना

1.1 अपराध के रूप में भ्र-टाचार प्राइवेट अभिलाभ के लिए लोकपद का दुरुपयोग द्योतित करता है । यद्यपि ऐसी कार्रवाइयां जो भ्र-टाचार बढ़ाती है, की सार्वभौमिकतः निन्दा की जाती है किंतु रा-ट्रों के बीच भ्र-ट आचरण के अर्थ और व्याप्ति पर आम सहमति नहीं है । इसको सुलझाने के लिए संयुक्त रा-ट्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन, 2003 (“यू.एन.सी.ए.सी.”) भ्र-ट आचरण के अपराधीकरण पर स्प-टता लाने के लिए पुरःस्थापित किया गया जिसका सभी रा-ट्रों पर तुलनीय प्रभाव था । आज तक 176 देशों ने यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन दिया है और अपनी घरेलू विधि में इसके उपबंधों को सम्मिलित करने की प्रतिज्ञा की है । भारत एक ऐसा देश है ।

1.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के अधीन राज्य पक्षकारों से उन कार्यों या लोपों जो उसके पदीय कर्तव्यों के विपरीत हैं, के लिए विदेशी लोक कर्मचारियों या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के कर्मचारियों को और उनके द्वारा असम्यक् फायदे के प्रस्ताव और स्वीकृति को दंडित करने की अपेक्षा है । सम्प्रति भारत के पास अनुच्छेद 16 के अनुसरण में घरेलू विधि नहीं है । भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (“पी.सी.ए.”) घरेलू लोक कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की स्वीकृति को दंडित करता है जबकि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (“पी.एम.एल.ए.”) संपत्ति की कुर्की और अधिहरण के माध्यम से धन अवैध बहाव को अपराधीकृत करता है । तदनुसार, मंत्रियों के समूह ने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 की अपेक्षाओं के अनुसार विदेशी रिश्वत पर विधि अधिनियमित करना अनावश्यक महसूस किया । इसके अनुसरण में, 25 मार्च, 2011 को लोक सभा में विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन रिश्वत निवारण विधेयक, 2011 (“2011 विधेयक”) पुरःस्थापित किया गया । 2011 विधेयक के अधीन, विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी द्वारा असम्यक् फायदे के प्रस्ताव और स्वीकृति को विनिर्दि-टतः दंडित किया गया । इसके पश्चात् 1 अप्रैल, 2011 को लोक सभा ने विधेयक को विचारार्थ और रिपोर्टें देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंध संसदीय स्थायी समिति (“स्थायी समिति”) को निर्दि-ट किया ।

1.3 29 मार्च, 2012 को स्थायी समिति ने 2011 विधेयक पर अपनी 50वीं रिपोर्ट

प्रस्तुत की <sup>1</sup> रिपोर्ट ने 2011 विधेयक के उपबंधों का विश्लेषण किया और इसके सुधार के लिए कई सिफारिशें कीं। परिणामतः, स्थायी समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया जिसे तब 17 अगस्त, 2012 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तथापि, कई कारणों से 2011 विधेयक पारित नहीं हो सका।

1.4 इसी बीच, संसद् ने भी 2012 में पी.एम.एल. की अनुसूची जिसमें निर्धारक अपराध थे, के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए इसे भी संशोधित किया। इससे 2011 विधेयक को संशोधित करना आवश्यक हो गया चूंकि इसके उपबंधों में पी.एम.एल.ए. की अनुसूची का प्रतिनिर्देश किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने 18 मार्च, 2013 को 2011 विधेयक में कई संशोधन करने का अपना अनुमोदन दिया। इसके पश्चात्, एक समेकित नोटिस जिसमें स्थायी समिति की सिफारिशों और पी.एम.एल.ए. के संशोधन से उद्भूत संशोधन विमर्शित थे, 4 अप्रैल, 2013 को इसके विचारार्थ लोक सभा को भेजा गया। तथापि, विभिन्न कारणों से, 2011 विधेयक संसद् के पश्चात्वर्ती सत्रों में विचारार्थ नहीं लिया जा सका और अंततः 15वीं लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।

1.5 विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 (“2015 विधेयक”) के रूप में कतिपय प्रस्तावित संशोधनों और सिफारिशों के साथ 2011 विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अब एक नया प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव के विचार के दौरान, अंतररा-ट्रीय अनुभव के अनुरूप 2011 विधेयक में अपवादों (प्रतिक्षाओं) सहित विचार करने के लिए विधि मंत्री से एक सुझाव प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया गया कि 2011 विधेयक के नवीनतम प्रारूप में विदेशी रिश्वत के अपराध का कोई अपवाद नहीं था। तथापि, यू.के. और यू.एस.ए. की विदेशी रिश्वत की विधियों में ऐसे अपवाद का उपबंध है। तदनुसार यह प्रस्तावित किया गया कि 2015 विधेयक के खंड 4 के अधीन विदेशी रिश्वत के अपराध के समरूप अपवादों/प्रतिक्षाओं को भी सम्मिलित किया जाए। इस संदर्भ में, अपर सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से 14 जुलाई, 2015 के पत्र के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अब यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अपनी बाध्यताओं को क्रियान्वयन की भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए संसद् के अगले सत्र में 2015 विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। 2015 विधेयक के खंड 4

---

<sup>1</sup> कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, “विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011” पर 15वीं रिपोर्ट ; <<http://www.prsindia.org/uploads/media/Bribery/SCR%20Prevention%20of%20Bribery%20Bill.pdf>>, 4 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा।

के अधीन निम्नलिखित प्रतिरक्षाएं सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है - (क) “स्थानीय विधि प्रतिरक्षा”, (ख) उत्पादया सेवा के संवर्धन, प्रदर्शन या स्प-टीकरण या संविदा के नि-पादन या कार्यपालन से संबंधित प्रत्यक्ष युक्तियुक्त व्यय” और (ग) “पर्याप्त सुरक्षोपाए की प्रतिरक्षा” ।

1.6 विधि और न्याय मंत्रालय ने 2015 विधेयक के पाठ पर अपने विचार और सिफारिशें देने के लिए भारत के बीसवें विधि आयोग (“आयोग”) से अनुरोध किया । परिणामतः, आयोग ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. पी. शहा की अध्यक्षता में 2015 विधेयक के उपबंधों का पुनर्विलोकन करने और समुचित संशोधन की सिफारिश करने के लिए “विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण - एक अध्ययन और प्रस्तावित संशोधन” शीर्षक से वर्तमान अध्ययन करने का विनिश्चय किया ।

1.7 रिपोर्ट में, आयोग विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी के रिश्वत विनयक नगरपालिक, तुलनात्मक और अंतररा-द्रीय विधि उपबंधों का विश्ले-णात्मक अध्ययन करने का प्रस्ताव करता है । यह 2015 विधेयक में संशोधनों की सिफारिश करके यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 का भारत में अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है । तदनुसार इस रिपोर्ट को पांच अध्यायों में बांटा गया है । प्रस्तावना (अध्याय 1) के पश्चात्, अध्याय 2 विनिर्दि-टतः अनुच्छेद 16 के पीछे छिपे आशय को प्रारूपित कर यू.एन.सी.ए.सी. के उद्देश्य और प्रयोजन की चर्चा करता है । अनुच्छेद 16 के अधीन अंतर्वि-ट अपराधों से सुसंगत अन्य अनुच्छेदों का भी विश्ले-ण किया गया है । अध्याय 3 ऐसी अन्य अधिकारिता जो यू.एन.सी.ए.सी. के राज्य पक्षकार हैं, के रिश्वत विधानों की परीक्षा करता है । ऐसे देशों के अनेक भागों का चयन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न दृ-टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है । अध्याय 4 में 2015 विधेयक के उपबंधों का संक्षिप्तांश और इसका आलोचनात्मक विश्ले-ण है । तब अध्याय 5 में ऐसी सिफारिशें हैं जिनके आधार पर यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के भारत में अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए ।

1.8 इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, आयोग ने अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अजित प्रकाश शहा, श्री सिद्धार्थ लूथरा (वरि-ठ अधिवक्ता), श्री सिद्धार्थ अग्रवाल (अधिवक्ता), डा. अर्ध्र्यसेन गुप्ता (विधिक नीति विधि केंद्र) और सुश्री सुमति चन्द्रशेखरन (परामर्शी, विधि आयोग) को मिलाकर एक उपसमिति गठित की । सुश्री रित्तिका शर्मा, सुश्री यशस्विनी मित्तल (अधिवक्ता) और श्री राहुल बजाज (विधि छात्र) ने अनुसंधान सहायता उपलब्ध करायी ।

1.9 इसके पश्चात्, गहन विचार-विमर्श, चर्चा और व्यापक अध्ययन के पश्चात् आयोग ने इस रिपोर्ट को आकार प्रदान किया ।

## अध्याय 2

### संयुक्त रा-द्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन की व्याप्ति और प्रयोज्यता

2.1 सभी रा-द्रों में भ्र-टाचार की बढ़ती और अंधाधुंध धमकी के प्रति बढ़ते बोध के कारण इससे निपटने के लिए एक अंतररा-द्रीय कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ी <sup>12</sup> 2002 और 1 अक्टूबर, 2003 के बीच बातचीत के सात सत्र के पश्चात् कन्वेंशन आयोजित किया गया <sup>13</sup> आम सभा द्वारा 31 अक्टूबर 2003 के अपने संकल्प 58/4 में अंततः यू.एन.सी.ए.सी. को अंगीर किया गया और 14 दिसंबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ <sup>14</sup> पश्चातवर्ती व-नों में, समान नियमों के सेट के आधार पर अपने राज्यक्षेत्र के भीतर भ्र-टाचार से निपटने के लिए 176 रा-द्रों ने यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और अनुसमर्थन किया <sup>15</sup>

2.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भ्र-टाचार के विरुद्ध एक अंतररा-द्रीय संधि अधिनियमित करने के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत भ्र-टाचार को निवारित करने और उससे लड़ने के उपायों का संवर्धन और मजबूत किया जाना, भ्र-टाचार के विरुद्ध लड़ने में अंतररा-द्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता का संवर्धन और सुविधा पहुंचाना तथा लोक कार्य और लोक संपत्ति का उचित प्रबंधन तथा सत्यनि-ठा और जवाबदेही का संवर्धन सम्मिलित है । यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन यथा उपवर्णित भ्र-टाचार से निपटने के लिए मुख्य उपायों के अंतर्गत निवारात्मक उपाय, आचरण का अपराधीकरण अंतररा-द्रीय सहयोग और आस्ति बरामदगी हैं । यू.एन.सी.ए.सी. के राज्य पक्षकारों ने भी समकक्ष पुनर्विलोकन प्रक्रिया के माध्यम से इसके क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए तंत्र स्थापित किया है जो अंतररा-द्रीय सहयोग और उचित पद्धतियों के लेनदेन का संवर्धन करता है <sup>16</sup>

---

<sup>2</sup> भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-द्र कन्वेंशन के स्प-टीकरण के लिए बातचीत पर ट्रावेक्स प्रस्तावना, ओ-नधि और अपराध पर संयुक्त रा-द्र कार्यालय (2010) ; <<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>>, पर उपलब्ध ओ-नधि और अपराध पर संयुक्त रा-द्र कार्यालय की वेबसाइट “भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-द्र कन्वेंशन की पृ-ठभूमि” भी देखें, 4 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा ।

<sup>3</sup> वही

<sup>4</sup> वही

<sup>5</sup> वही

<sup>6</sup> ओ-नधि और अपराध पर संयुक्त रा-द्र कार्यालय, भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-द्र कन्वेंशन के क्रियान्वयन के पुनर्विलोकन का तंत्र- मूल दस्तावेज (2011).



2.3 यद्यपि ऐसे विचारों की लंबी कतार है कि कौन-कौन सी बातें लोक भ्र-टाचार गठित करता है, किंतु रिश्वत के कार्य को ऐसे भ्र-टाचार के सर्वाधिक चिह्नित प्ररूप के रूप में माना जाता है जो अधिकांश अधिकारिताओं में दांडिक अपराध गठित करता है।<sup>7</sup> रिश्वत के अपराध या असम्यक् असर के उपयोग को विनिर्दि-टतः यू.एन.सी.ए.सी. के पाठ में परिभाषित नहीं किया गया है और राज्य पक्षकारों की घरेलू विधियों के अधीन व्यक्तिगत विरचना पर छोड़ दिया गया है।<sup>8</sup> फिर भी यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 2 के अधीन परिभाषागत खंड कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 और 16 का निर्वचन करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का प्रयोजन पूरा करता है जो राज्य पक्षकारों से रिश्वत के प्रस्ताव और स्वीकृति को अपराध बनाने की मांग करता है। रिश्वत का आपूर्ति पक्ष रिश्वत (सक्रिय रिश्वतखोरी) के प्रस्ताव के कार्य को चिन्ताजनक बनाता है, यद्यपि मांग पक्ष रिश्वत (निष्क्रिय रिश्वतखोरी) की स्वीकृति या अधियाचना को निर्दि-ट करता है।<sup>9</sup> यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन, राज्य पक्षकारों की अनुच्छेद 15 के अधीन अपने रा-ट्रीय लोक पदधारियों और अनुच्छेद 16 के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय और निष्क्रिय रिश्वतखोरी को अपराधीकृत करने की बाध्यकता है। इस प्रकार, यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 2 के अधीन लोक पदधारी, विदेशी लोक पदधारी और लोग अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी की परिभाषाएं यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के अधीन दांडिक उपबंधों के अर्थान्वयन के लिए सुसंगत हैं।

2.4 यू.एन.सी.ए.सी. लोक पदधारी को ऐसे किसी व्यक्ति जो या तो (i) किसी राज्य पक्षकार का विधायी, कार्यपालक, प्रशासनिक या न्यायिक पदधारण करता है चाहे नियुक्त या निर्वाचित हो, चाहे स्थायी या अस्थायी हो, उस व्यक्ति की ज्ये-ठता पर ध्यान दिए बिना चाहे संदत्त या असंदत्त हो ; (ii) लोक अभिकरण या लोक उद्यम सहित लोककृत्य का निर्वहन करता है या राज्य पक्षकार की घरेलू विधि में यथापरिभाषित और उस राज्य पक्षकार की विधि के प्रासंगिक क्षेत्र में लागू है ; या (iii) राज्य पक्षकार की घरेलू विधि में “लोक पदधारी” के रूप में यथापरिभाषित कोई अन्य व्यक्ति।<sup>10</sup> विदेशी लोक पदधारी को किसी विदेश के विधायी, कार्यपालक, प्रशासनिक

<sup>7</sup> ओफेली ब्रुनेली-कुरेशी भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन की सुसंगतता और प्रभाविता का निर्धारण : तुलनात्मक विश्लेषण, 2 नोट्स डैम जे. इनटेल एंड कॉम. एल. 101 (2011-2012) ; माइकल कुबिसेल, भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के मुख्य आपराधिक विधि उपबंध”, 9 इंटर, क्रिम. ला. रिव्यू. 139 (2009).

<sup>8</sup> ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्र कार्यालय संधि क्रियाकलाप प्रभाग, भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के क्रियान्वयन के लिए विधायी मार्ग दर्शिका (दूसरा पुनरीक्षित अंक, 2012) (“यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका”)

<sup>9</sup> ओफेली ब्रुनेली-कुरेशी (टि. 7).

<sup>10</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

या न्यायिक पद पर, चाहे नियुक्त या निर्वाचित हो पदधारण करने किसी व्यक्ति ; और/या लोक अभिकरण या लोक उद्यम सहित विदेश लोक कृत्य करने वाला किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित है, यद्यपि लोक अंतररा-ट्रीय संगठन का पदधारी ऐसे अंतररा-ट्रीय सिविल सेवक या ऐसा कोई व्यक्ति जो उस संगठन की ओर से कार्य करने के लिए ऐसे संगठन द्वारा प्राधिकृत है, के रूप में परिभाषित है ।<sup>11</sup> राज्य पक्षकार अनुच्छेद 2 द्वारा न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न व्यापक या अधिक समावेशक परिभाषाएं चुन सकता है ।<sup>12</sup>

2.5 “रा-ट्रीय लोक पदधारी का रिश्त” पर यू.एन.सी.ए.सी. यह उल्लेख करता है कि :-

“प्रत्येक राज्य पक्षकार साशय किए जाने पर दंडिक अपराधों को स्थापित करने के लिए ऐसे विधायी और अन्य उपाय अंगीकार कर सकेंगे, जो आवश्यक हों:

(क) पदीय कार्य करने या अपने पदीय कर्तव्यों के प्रयोग में कार्य करने से विरत रहने के लिए किसी लोक पदधारी को स्वयं पदीय या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः असम्यक लाभ का वादा, भेंट या वस्तु प्रदाय ;

(ख) पदीय कार्य करने या अपने पदीय कर्तव्यों के प्रयोग में कार्य करने से विरत रहने के लिए, किसी लोक पदधारी द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः असम्यक् लाभ का अनुरोध या स्वीकृति ।

2.6 अतः, अनुच्छेद 15 के पाठ के अनुसार, राज्य पक्षकारों से यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए विधायी या अन्य उपायों के माध्यम से अपने रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय और नि-क्रिय रिश्तखोरी को दंडित करने की अपेक्षा है । अपराध के सक्रिय और नि-क्रिय पक्षों के बीच विभेद अधिक प्रभावी ढंग से भ्र-ट आचरण के अभियोजन की अनुज्ञा देता है और कठोर निवर्तक प्रभाव लागू करने का आशय रखता है ।<sup>13</sup> अनुच्छेद 15 के अधीन अपराधों के अंतर्गत रिश्तखोरी की सभी प्रकार की घटनाएं आती हैं चाहे वे मूर्त या अमूर्त, धनीय या गैर-धनीय हों ।<sup>14</sup>

2.7 “विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय” संगठन पदधारी की

<sup>11</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>12</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>13</sup> माइकल कुबेसियल (टि. 7).

<sup>14</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

रिश्वतखोरी” पर अनुच्छेद 16 में यह उल्लेख है कि :

“प्रत्येक राज्य पक्षकार साशय किए जाने पर दांडिक अपराधों को स्थापित करने के लिए ऐसे विधायी और अन्य उपाय अंगीकार कर सकेंगे, जो आवश्यक हों:

(क) पदीय कार्य करने या अपने पदीय कर्तव्यों के प्रयोग में कार्य करने से विरत रहने के लिए किसी लोक पदधारी को स्वयं पदीय या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः असम्यक लाभ का वादा, भेंट या वस्तु प्रदाय ;

(ख) पदीय कार्य करने या अपने पदीय कर्तव्यों के प्रयोग में कार्य करने से विरत रहने के लिए, किसी लोक पदधारी द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः असम्यक् लाभ का अनुरोध या स्वीकृति ।

2.8 उपरोक्त पाठ के अनुसार, अनुच्छेद 16 का पैरा 1 अनुच्छेद 15 के खंड (क) का दर्पण है जिसमें राज्य पक्षकारों से विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय रिश्वतखोरी को अपराधीकृत करने की अपेक्षा है <sup>15</sup> तथापि, अनुच्छेद 15 के प्रतिकूल, अनुच्छेद 16 की व्याप्ति केवल रिश्वतखोरी के उन कार्यों तक विस्तारित है जो अंतररा-ट्रीय सहायता के संदर्भ सहित अंतररा-ट्रीय कारबार संव्यवहारों के दौरान होते हैं <sup>16</sup> आगे अनुच्छेद 15 के पैरा 2 के अधीन तत्समान उपबंध के अंतर में अनुच्छेद 16 केवल राज्य पक्षकारों से विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों द्वारा रिश्वतों के अनुरोध या स्वीकृति को अपराधीकृत करने पर विचार करने पर बल देता है <sup>17</sup> यू.एन.सी.ए.सी. के ट्रावेक्स प्रेपरेटरीज के अनुसार अनुच्छेद 16 के अधीन पैरा 2 इस रीति में किसी प्रतिनिधिमंडल को माफ न किए जाने के कारण विरचित किया गया या विदेशी लोक पदधारियों या लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों द्वारा रिश्वतों के अनुरोध या स्वीकृति को सहन करने के लिए तैयार किया गया बल्कि इस तथ्य के कारण था कि पैरा 2 के अधीन आचरण सारतः पहले ही अनुच्छेद 15 के अधीन आता था जो राज्य पक्षकारों से अपने निजी पदधारियों द्वारा रिश्वतों के अनुरोध और स्वीकृति को अपराधीकृत करने की मांग करता था <sup>18</sup> परिणामतः, अनुच्छेद 16 के पैरा 2 के अनुसरण में विधि पारित करने की बाध्यता यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन आज्ञापक उपबंध नहीं है बल्कि निदेशात्मक उपबंध है जो

<sup>15</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8) ; ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2) भी देखें .

<sup>16</sup> वही

<sup>17</sup> ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2).

<sup>18</sup> ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2).

राज्य पक्षकारों द्वारा विचार किए जाने की अपेक्षा करती है। तथापि, यदि राज्य पक्षकार पैरा 2 के अधीन नि-क्रिय रिश्वतखोरी को अपराधीकृत न करने का चुनाव करता है, तो यह ऐसे दूसरे राज्य पक्षकार जिसने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसार इसे अपराधीकृत किया है, द्वारा अपराध के अन्वेषण और अभियोजन की बावत सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने पर विचार करने का प्रोत्साहित करने के लिए है।<sup>19</sup> इस बावत, जहां तक उनकी विधियां अनुज्ञात करती हैं, राज्य पक्षकारों को दूसरे राज्य जो अपनी विधियों के अधीन भ्र-ट पदधारी को अभियोजित करने का प्रयास कर रहा है, जो यू.एन.सी.ए.सी. के पास परिवादी है, के साथ सूचना के आदान-प्रदान करने के मार्ग में तकनीक (अर्थात् दोहरी अपराधिकता की कमी<sup>20</sup>) अपनाने से बचने को प्रोत्साहित किया जाता है।<sup>21</sup> यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अंतररा-ट्रीय विधि के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों द्वारा उपभोग की जाने वाली उन्मुक्तियां अनुच्छेद 16 के उपबंधों द्वारा प्रभावित नहीं हैं।<sup>22</sup> वस्तुतः, यू.एन.सी.ए.सी. के विधायी मार्गदर्शिका के अनुसार लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों को समुचित मामलों में ऐसी उन्मुक्तियों को अधित्यजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।<sup>23</sup>

2.9 अनुच्छेद 16 की व्याख्या यू.एन.सी.ए.सी. के कतिपय अन्य अनुच्छेदों का प्रतिनिर्देश किए बिना अपूर्ण है। विशेषकर, यू.एन.सी.ए.सी. का अनुच्छेद 42 जो राज्य पक्षकारों से ऐसे अपराध जो (क) उनके राज्यक्षेत्र में किए गए हैं ; या (ख) ऐसे जलयान जिस पर उनका झंडा लहरा रहा है या ऐसे वायुयान जो अपराध किए जाने के समय उनकी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, पर किए गए हैं, पर अधिकारिता का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 4 के अधधीन रहते हुए, राज्य पक्षकारों को अनुच्छेद 42 के अधीन ऐसे अपराधों पर अधिकारिता स्थापित करने पर विचार करने को प्रोत्साहित किया गया है जो (क) उसके रा-ट्रिकों के विरुद्ध किए गए हैं ; (ख) उसके रा-ट्रिक या ऐसे राज्यविहीन व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसका उसके राज्यक्षेत्र में आदतन निवास है ; (ग) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 23 के अनुसार स्थापित है (जो धन शोधन और अपराध के आगमों के बारे में है) और उसके राज्यक्षेत्र के बाहर किया गया है किंतु विवक्षाएं उसके राज्यक्षेत्र के भीतर है ; या (घ) राज्य के रूप में स्वयं उसके विरुद्ध किया गया है। अतः, यह उपबंध रा-ट्र पार अपराध को रोकने और मुख्य

<sup>19</sup> ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2).

<sup>20</sup> दोहरे अपराधिता के सिद्धांत के अधीन किसी अभियुक्त का तब प्रत्यर्पण किया जा सकता है यदि प्रश्नगत अभिकथित आपराधिक आचरण अधर्पण करने वाले और अनुरोध करने वाले दोनों राज्यों के विधियों के अधीन अपराध माना जाता है.

<sup>21</sup> ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2)

<sup>22</sup> ट्रावेक्स प्रस्तावना (टि. 2)

<sup>23</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

अधिकारिता खामियों को दूर करने का प्रयास करता है जो भगोड़ों को विधि की प्रक्रिया के बचने के लिए सुरक्षित स्वर्ग पाने में समर्थ बनाता है।<sup>24</sup> तथापि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 42 का पैरा 2 विनिर्दिष्टतः यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 (संप्रभुता का संरक्षण) के सिद्धांतों पर समाश्रित है जिसमें यह उल्लेख है कि :

1. राज्य पक्षकार संप्रभु समता और राज्यों की राज्यक्षेत्रीय अखंडता और अन्य राज्यों के घरेलू क्रियाकलापों के अहस्तक्षेप के सिद्धांतों से संगत रीति में इस कन्वेंशन की अपनी बाध्यताएं निभाएंगे।

2. इस कन्वेंशन की कोई बात किसी राज्य पक्षकार को दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में अधिकारिता के प्रयोग और कृत्यों के पालन का हकदार नहीं बनाएगी जो उसकी घरेलू विधि द्वारा उस अन्य राज्य के प्राधिकारियों के लिए अनन्यतः आरक्षित हैं।

2.10 अतः, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अनुच्छेद 42 के अधीन घरेलू विधियों के लागू होने को विस्तारित करते समय, राज्य पक्षकारों को अनुच्छेद 4 के अधीन राज्यक्षेत्रीय अखंडता और संप्रभु समानता के पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन सिद्धांतों में से किसी एक का अतिक्रमण न केवल यू.एन.सी.ए.सी. का बल्कि यू. एन. चार्टर का भी अतिक्रमण करेगा क्योंकि दोनों सिद्धांत चार्टर के अनुच्छेद 2 पर आधारित हैं।<sup>25</sup> परिणामतः, यू.एन.सी.ए.सी. के सभी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 16 के पैरा 1 और 2 के अधीन किसी विधि के लागू होने की व्याप्ति का निर्वचन करते समय अनुच्छेद 4 और 42 को साथ-साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए।

2.11 अनुच्छेद 26 (विधिक व्यक्तियों का दायित्व), 27 (भागीदारी और प्रयास), 28 (अपराध के तत्व के रूप में ज्ञान, आशय और प्रयोजन) और 30 (अभियोजन, न्यायनिर्णयन और अनुशास्ति) में यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अपराध स्थापित करने और दंडित करने के प्रक्रियागत और अधि-ठायी तत्व निहित हैं।<sup>26</sup> इन उपबंधों का अवलंब भी अनुच्छेद 16 के अधीन प्रभावी अभियोजन के लिए निर्वचन में सुसंगत है। विनिर्दिष्टतः यू.एन.सी.ए.सी. का अनुच्छेद 26 विधिक सत्ताओं (अर्थात् कंपनियों) के दायित्वों को संहिताबद्ध करता है जो राज्यों की घरेलू विधि के अधीन विधिक सिद्धांतों से संगत हैं। इस दायित्व की उपयोजन नैसर्गिक व्यक्तियों को लागू आपराधिक दायित्व के पक्षपात रहित है।<sup>27</sup> यह आपराधिक, सिविल या प्रशासनिक शास्तियों तक विस्तारित

<sup>24</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>25</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>26</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>27</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

है <sup>28</sup> अनुच्छेद 27 राज्य पक्षकारों से न केवल आचरण बल्कि यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन (सहायता पहुंचा करके और दु-प्रेरित करके) ऐसे आचरण के अग्रसरण में की गई कार्रवाइयों को भी अपराधीकृत करने की मांग करता है । यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 28 के अधीन अपराध के तत्व अर्थात् जानकारी, आशय और प्रयोजन को ऐसी रीति से स्थापित किया जाए जो वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक परिस्थितियों के भी अनुमानों को हिसाब में लेता है । अनुच्छेद 29 के अधीन, राज्य पक्षकारों से यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए परिसीमा के दीर्घ कानूनों को विरचित करने की भी अपेक्षा है । अंततः, अनुच्छेद 30 सारतः अभियोजन, दंड और दो-सिद्ध व्यक्तियों को पुनः समाज में समेकित करने की अवसंरचना अधिकथित करता है । समावेशित कुछ मुख्य मुद्दों में प्रक्रियागत सुरक्षोपाय, उन्मुक्तियां और दंड की सीमा सम्मिलित है <sup>29</sup> अनुच्छेद 30 का पैरा 9 विनिर्दिष्टतः इस संदर्भ में सुसंगत है क्योंकि यह राज्य पक्षकारों को उनकी घरेलू विधि के अधीन यथासंहिताबद्ध विधिक बचाव या आचरण की विधिसंगतता को नियंत्रित करने के अन्य विधिक सिद्धांतों को लागू करने की अनुज्ञा देता है । अतः, घरेलू विधान के अधीन विदेशी रिश्वतखोरी के अपराध के बचाव और अपवाद इस उपबंध से निःसृत होते हैं ।

2.12 अंतररा-द्रीय सहयोग पर अध्याय 4 के अधीन उपबंध राज्य पक्षकारों को सूचना आदान-प्रदान, पारस्परिक सहायता और ऐसे अन्य उपाय जो सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अनुच्छेद 16 के अधीन रा-द्रीय पार रिश्वतखोरी से निपटने के लिए है, के प्रयोजन के लिए एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता भी उपलब्ध कराते हैं । इस संदर्भ में, प्रत्यर्पण से संबंधित अनुच्छेद 44 का विशेष महत्व है क्योंकि यह ऐसी व्याप्ति, प्रक्रिया और शर्तों के बारे में है जो यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन प्रत्यर्पण को कार्यान्वित करता है । संक्षेप में, अनुच्छेद 44 के अधीन मुख्य उपबंध राज्य पक्षकारों से (1) यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसार प्रत्यर्पणयोग्य अपराधों को स्थापित करने, बशर्ते दोहरी अपराधिता की अपेक्षा पूरी होता हो ; (2) प्रत्यर्पण मंजूर करने पर विचार करना जहां उनकी घरेलू विधि दोहरी अपराधिकता के बिना भी कन्वेंशन के अधीन अपराधों के लिए अनुज्ञा देती है ; (3) कई पृथक् अपराधों की बावत अनुच्छेद 44 लागू करने पर विचार करने, जहां कम से कम एक अपराध अनुच्छेद 44 के अधीन प्रत्यर्पणयोग्य है और उनमें से कुछ अपराध जो कारावास की उनकी अवधि के कारण प्रत्यर्पणयोग्य नहीं है किंतु यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसार स्थापित अपराधों से संबंधित है ; (4) ऐसी घटनाओं में जहां राज्य पक्षकार कन्वेंशन का उपयोग प्रत्यर्पण के आधार के रूप में करते हैं वहां यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन भ्र-टाचार अपराधों को राजनैतिक अपराधों के रूप में विचार

<sup>28</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

<sup>29</sup> यू.एन.सी.ए.सी. पर विधायी मार्गदर्शिका (टि. 8).

न करने ; (5) अन्य राज्य पक्षकारों से प्रत्यर्पण की संधि करना, यदि यू.एन.सी.ए.सी. प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए विधिक आधार गठित नहीं करता ; (6) कन्वेंशन के अधीन भ्र-टाचार अपराधों से संबंधित प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को द्रुततर करने और साक्ष्यिक अपेक्षाओं को सरल बनाने पर विचार करने ; और (7) अनुच्छेद 44 के अधीन प्रत्यर्पण कार्यवाही झेल रहे व्यक्तियों के लिए नि-पक्ष बर्ताव सुनिश्चित करने, की अपेक्षा करते हैं। अनुच्छेद 44 के अधीन प्रत्यर्पण अनुरोध के इनकार के संदर्भ में, राज्य पक्षकारों से यह सुनिश्चित करते हुए कि अभियोजित करने और किसी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अनुरोध करने वाले राज्य पक्षकार के सहयोग और अपेक्षित सतर्कता से चलाई जा रही है, घरेलू अभियोजन के लिए मामला प्रस्तुत करने हेतु यह भी अपेक्षा है, यदि प्रत्यर्पण अनुरोध को इस आधार पर नकार दिया जाता है कि व्यक्ति एक राष्ट्रिक है ; (2) अनुरोध करने वाले राज्य की घरेलू विधि के अधीन ऐसी घटनाओं में अधिरोपित दंडादेशों को प्रवृत्त कराने पर विचार करने, जहां राष्ट्रिकता के आधार पर दंडादेशों के प्रवर्तन के लिए प्रत्यर्पण से इनकार किया गया है ; और (3) प्रत्यर्पण अनुरोध की इनकारी के पूर्व अनुरोध करने वाले राज्य पक्षकार को मामले पर जानकारी और विचार प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए समुचित परामर्श करना भी अपेक्षित है ।

2.13 भारत ने 2005 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और तत्पश्चात् 2011 में अनुसमर्थन किया । तथापि, अनुसमर्थन के समय भारत ने अधिसूचना के माध्यम से यह भी घोषित किया कि “लागू द्विपक्षीय करारों के माध्यम से कन्वेंशन के अनुच्छेद 45 और 46 के अधीन पारस्परिक विधिक सहायता के लिए अंतरा-द्विपक्षीय सहयोग का प्रयास किया जाएगा ।” और ऐसे मामलों में जहां द्विपक्षीय करार के अधीन अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा ईप्सित पारस्परिक विधिक सहायता नहीं आती, वहां यह “पारस्परिक आधार” कन्वेंशन के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा । यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके भारत भ्र-टाचार पर विभिन्न विधियों के अधिनियम के माध्यम से कन्वेंशन के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाने के प्रति वचनबद्ध हो गया है ।<sup>30</sup> इस बावत भारत के संविधान<sup>31</sup> का अनुच्छेद 253 भारत की संसद् में यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अपनी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के लिए विधियां अधिनियमित करने की अपेक्षित सक्षमता निहित करता है । इसके अतिरिक्त, नीति निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 51 अंतररा-द्विपक्षीय शांति के अभिवृद्धि हेतु भारत की बाध्यता को सूचीबद्ध करता है, और अपनी अंतररा-द्विपक्षीय बाध्यताओं और वचनबद्धताओं

<sup>30</sup> हस्ताक्षरकर्ता की सूची पर और ब्यौरे के लिए कृपया <<https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xviii/xviii-14.en.pdf>>, देखें 8 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा गया .

<sup>31</sup> भारत के संविधान भाग 4 के अधीन राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 51 ; संविधान के भाग 11 के अधीन अनुच्छेद 253 में एक सर्वोपरि खंड है जो अंतररा-द्विपक्षीय बाध्यताओं को भारत को क्रियान्वित करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति संसद में निहित करता है.

को कायम रखने का प्रयास करता है ।

2.14 अनुच्छेद 16 का अनुपालन और विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के रिश्तखोरी को दंडित करना प्रस्तुत विधेयक का तर्काधार है । ऐसे विधेयक को आकार देते समय, तीन मुख्य प्रश्नों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है : पहला, क्या विधेयक केवल अनुच्छेद 16(1) के अपराधों जो आज्ञापक है या अनुच्छेद 16(2) के अपराधों को भी जो निदेशात्मक है को दंडित करेगा । दूसरा, विधेयक किस विस्तार तक बाह्य क्षेत्रीयता का प्रवर्तन होगा जिसके द्वारा विदेशों से सहयोग की आवश्यकता होगी और तीसरा, क्या आचरण की विधिकता को नियंत्रित करने वाले विधिक बचाव या अन्य विधिक सिद्धांतों को विधेयक में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और इस बावत तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए 10 चयनित अधिकारिताओं की सुसंगत विधियों का संक्षेप में विश्लेषण अगले अध्याय में किया जा रहा है ।



## अध्याय 3

### अन्य अधिकारिताओं में रिश्वत संबंधी विधियां

3.1 कई अधिकारिताओं ने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसरण में घरेलू विधान अधिनियमित किए। इन विधानों के उपयोजन का विस्तार रा-ट्रीय लोक पदधारियों, नागरिकों, विदेशी नागरिकों और सीमित संख्या की परिस्थितियों में विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों तक है। यद्यपि कई देशों ने रा-ट्रीय और विदेशी लोक पदधारियों तथा प्राइवेट भ्र-टाचार को समेटते हुए नए व्यापक विधान अधिनियमित किए फिर भी अन्य देशों ने विद्यमान विधियों में इन अपराधों को सम्मिलित किया। अधिकांश देशों ने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 का पैरा 2, जो निदेशात्मक उपबंध है, के अनुसरण में विधि अधिनियमित नहीं किया। 10 अधिकारिताओं की रिश्वत संबंधी विधियों की चर्चा यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 की व्याप्ति को बेहतर रूप से समझने के लिए नीचे की जा रही है। देशों का चयन ऐसी रीति से किया गया है जो प्रतिनिधिक नमूना प्रस्तुत करते हैं - अर्थात् मुख्य कामन ला अधिकारिताएं, उप-महाद्वीपीय रा-ट्र और अनुच्छेद 16 के अनुपालन के उल्लंघनीय दृ-टिकोणों की अन्य अधिकारिताएं जिनकी प्रामाणिक रिपोर्टें उपलब्ध हैं।

#### क. आस्ट्रेलिया<sup>32</sup>

3.2.1 आस्ट्रेलिया द्वारा वर्न 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया गया और तत्पश्चात् वर्न 2005 में अनुसमर्थन किया गया। आस्ट्रेलिया में सरकार की तीन परत : फेडरल, राज्य और स्थानीय वाली शासन की फेडरल प्रणाली है। आस्ट्रेलिया में भ्र-टाचार से निपटने में जुटे अभिकरणों में आस्ट्रेलियन विधि प्रवर्तन संपूर्णता आयोग, आस्ट्रेलिया अपराध आयोग तथा कामनवेल्थ आमवड्समैन और आस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस है। इसके अलावा, आस्ट्रेलियन सरकार भी अतिव्याप्ति रीति से भ्र-ट आचरण से निपटने का प्रयास करती है।

3.2.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) के अधीन अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन के लिए, आस्ट्रेलियन दंड संहिता की धारा 141.1 कामनवेल्थ लोक पदधारी की रिश्वतखोरी को विधिविरुद्ध ठहराती है और फेडरल स्तर पर काफी पदधारियों और काफी आचरणों जिसके अंतर्गत फायदे पहुंचाना, अभिलाभ अभिप्राप्त

<sup>32</sup> आस्ट्रेलिया की जानकारी आस्ट्रेलिया के कार्यपालिक संक्षिप्तांश से ली गई है, सचिवालय द्वारा टिप्पण, राज्यों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह का तीसरा सत्र, भ्र-टाचार विरोधी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों का सम्मेलन, यू.एन.डी.ओ.सी. सं. CAC/COSP/IRG/1/2/1 (2012); <<http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/Foreignbribery/Pages/default.aspx>>, पर उपलब्ध अटार्नी जनरल विभाग, आस्ट्रेलियन सरकार के वेबसाइट 'विदेशी रिश्वतखोरी' को देखें, अंतिम बार 8 अगस्त, 2015 को देखा गया।

करना या हानि कारित करना सम्मिलित है, को समावि-ट करती है । अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अनुरूप, धारा 141.1 लोक पदधारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रयोग चाहे वास्तविक या अनुबोधक, असर के विनिमय में असम्यक लाभ की स्वीकृति को भी अपराधीकृत करती है ।

3.2.3 आस्ट्रेलियन दंड संहिता के अध्याय 4 का प्रभाग 70 अनुच्छेद 16 के संदर्भ में विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की रिश्वतखोरी को समावि-ट करता है । तथापि, यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैरा 1 के अधीन यथाविमर्शित विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की केवल सक्रिय रिश्वतखोरी को प्रभाग 70 के अधीन दंडनीय बनाया गया है । अनुच्छेद 16 के पैरा 2 के अधीन ऐसे पदधारियों की नि-क्रिय रिश्वतखोरी आस्ट्रेलियन दंड संहिता के अधीन दांडिक अपराध गठित नहीं करती ।

3.2.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ने से अनुच्छेद 42 के अधीन अधिकारिता के संदर्भ में, आस्ट्रेलियन रिश्वतखोरी विरोधी विधि मोटे तौर पर आस्ट्रेलिया के भीतर सभी आचरणों और आस्ट्रेलियन नागरिकों, निवासियों और विदेशी कंपनियों के आचरण को लागू होती है । यद्यपि सभी संदाय आस्ट्रेलिया के विदेशी रिश्वतखोरी कानून के अधीन आते हैं, फिर भी विदेशी पदधारी, राजनैतिक दल या दल पदधारी द्वारा शीघ्रता करने या नैमित्तिक सरकारी कार्रवाई का पालन सुनिश्चित करने लिए सुविधा संदाय को दंडित किए जाने का छूट प्राप्त है । यह पहचान करने के लिए कि संव्यवहार सुविधा संदाय है न कि रिश्वतखोरी, आस्ट्रेलियन विधि प्राप्त होने वाला फायदा 'अल्पमूल्य का होने' और 'छोटे प्रकृति की नैमित्तिक सरकारी कार्रवाई का पालन शीघ्रता से कराने या सुनिश्चित कराने के एकमात्र या प्रमुख प्रयोजन के लिए' प्रस्तावित किए जाने की अपेक्षा करती है । संव्यवहार की कार्यवाहियों को भी अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा है । इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलियन विधि उन उपहारों और लाभों को भी छूट प्रदान करती है जो विनिर्दि-टतः प्रश्नगत विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को लागू लिखित विधि के अधीन अनुज्ञात हैं ।

### ख. आस्ट्रिया<sup>33</sup>

3.3.1 आस्ट्रिया ने वर्न 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और वर्न 2006 में इसका अनुसमर्थन किया । आस्ट्रिया में भ्र-टाचार के विरुद्ध विधिक ढांचे में मुख्यतः संविधान, दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध सम्मिलित हैं ।

<sup>33</sup> आस्ट्रिया की जानकारी ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्ट्र कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2010-2015 के लिए इजराइल और वियतनाम द्वारा पुनर्विलोकन, 'आस्ट्रिया का कं-ट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट' से लिया गया । भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह का पांचवां सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, आस्ट्रिया पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.11(2014). भी देखें.

आस्ट्रेलियन विधि पूर्णतः यू.एन.सी.ए.सी. के सभी उपबंधों का पालन करती है । अंतर्वलित प्राधिकारियों में फेडरल न्याय मंत्रालय, फेडरल आंतरिक मंत्रालय और इसका फेडरल भ्र-टाचा विरोधी ब्यूरो, आर्थिक अपराध और भ्र-टाचार अभियोजन का केंद्रीय कार्यालय और आपराधिक पुलिस कार्यालय सम्मिलित है ।

3.3.2 अनुच्छेद 15 के खंड (क) के अधीन अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन के लिए, आस्ट्रियन विधि दंड संहिता की धारा 307 (कर्तव्य भंग वाली सक्रिय रिश्वतखोरी), धारा 307क (फायदे का अनुमोदन), 307ख (असर का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए फायदे का अनुमोदन) और 302 (शासकीय प्राधिकार का दुरुपयोग) के माध्यम से रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय रिश्वतखोरी के अपराध को दंडित करता है । घरेलू लोक पदधारी की नि-क्रिय रिश्वतखोरी जो अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अधीन आती है, को दंड संहिता की धारा 304 (कर्तव्य भंग वाली नि-क्रिय रिश्वतखोरी), 305 (लाभ की स्वीकृति) 306 (असर का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए लाभ की स्वीकृति) और 302 (जैसा पहले विमर्शित है) के अधीन फंसाया जाता है ।

3.3.3 अनुच्छेद 16 के पैरा 1 के संदर्भ में, आस्ट्रिया उन्हीं उपबंधों के माध्यम से जैसा अनुच्छेद 15 के खंड (क) के अधीन अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाता है, विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारी की सक्रिय रिश्वतखोरी को दंडित करता है। इस बावत, धारा 307 और 307ख के अपराध घरेलू या विदेशी लोक पदधारियों, लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के बीच विनिर्दि-ट अंतर नहीं है और इस प्रकार दोनों (जिसकी पु-टि आस्ट्रिया द्वारा अपनी देश पुनर्विलोकन रिपोर्ट में की गई है) को लागू होने के लिए विवक्षित है । इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 74 के अधीन “लोक पदधारी” की परिभा-ना में विनिर्दि-टतः ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो अंग के रूप में या कर्मचारी के रूप में दूसरे राज्य या अंतररा-ट्रीय संगठन (धारा 74 के पैरा 1(4क)) के लिए विधान, प्रशासन या न्याय का कार्य करता है । तथापि, दंड संहिता की धारा 302 केवल रा-ट्रीय लोक पदधारियों को लागू होती है न कि अन्य को । अनुच्छेद 16 के पैरा 2 के संदर्भ में, आस्ट्रियन विधि धारा 302 जो केवल रा-ट्रीय पदधारियों को लागू होती है के अपवाद के साथ नि-क्रिय रिश्वतखोरी के अपराध के संदर्भ में रा-ट्रीय और विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के बीच अंतर नहीं करती । दंड संहिता की धारा 304, 305, 306 विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की नि-क्रिय रिश्वतखोरी के अपराध के लिए सुसंगत है ।

3.3.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 के साथ पठित धारा 42 के क्रियान्वयन की बावत, आस्ट्रियन विधि संहिता की धारा 64 विदेश में आस्ट्रियन पदधारी के विरुद्ध किए गए आपराधिक कार्य और आस्ट्रियन पदधारी द्वारा विदेश में किए गए आपराधिक कार्य

के लिए दोहरी अपराधिता की अपेक्षा के बिना रा-ट्रीय अधिकारिता के प्रयोग की अनुज्ञा देती है। अन्य अपराधों के लिए, अधिकारिता दोहरी अपराधिता अपेक्षा के अधीन रहते हुए ऐसी घटनाओं में कि अपराधी ऐसा आस्ट्रियन नागरिक या कोई विदेशी है जिसे आस्ट्रिया में गिरफ्तार किया गया था और अपराध की प्रकृति या अन्य लक्षण (दंड संहिता, धारा 65) सेभिन्न विदेशी राज्य को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता स्थापित की जाती है। परिणामतः, आस्ट्रियन विधान न केवल तब अभियोजित करने की अधिकारिता का उपबंध करता है जब रा-ट्रीयता के कारण प्रत्यर्पण से इनकार किया जाता है बल्कि अपराधों की प्रकृति से असंबद्ध कारणों से प्रत्यर्पण की इनकारी की स्थितियों को भी आवृत करता है।

### ग. कनाडा<sup>34</sup>

3.4.1 कनाडा ने वर्न 2004 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और वर्न 2007 में इसका अनुसमर्थन किया। ऐसी विधियां जो यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन कनाडा की बाध्यताओं को कार्यान्वित करते हैं में दंड संहिता, विदेशी लोक पदधारी भ्र-टाचार अधिनियम, अपराध (धन संशोधन) का आगम और आतंकवादी वित्त पो-ण अधिनियम तथा आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता अधिनियम सम्मिलित हैं। भ्र-टा आचरण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी निकाय रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस (“आर.सी.एम.पी.”) है।

3.4.2 अनुच्छेद 15 के खंड (क) और खंड (ख) के संदर्भ में, कनेडियन दंड संहिता की धारा 119 (न्यायिक अधिकारी की रिश्वतखोरी), 120 (अधिकारियों की रिश्वतखोरी), 121 (सरकार के साथ कपट), 122 (लोक अधिकारी द्वारा न्यास भंग), 123 (नगरपालिक भ्र-टाचार), 124 (पद का विक्रय या क्रय), 125 (पदों पर प्रभाव डालना या नियुक्तियों के संबंध में या कार्यालय में लेनदेन) और 426 (गुप्त आयोग) कनेडियन पदधारियों द्वारा रिश्वत के प्रस्ताव और स्वीकृति को विधि विरुद्ध बनाती है। कनाडा के कंट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट के उल्लेख के अनुसार दंड संहिता के अधीन रिश्वतखोरी की विधिक अवसंरचना अनुच्छेद 15 के अधीन कनाडा की बाध्यताओं से संगत है। इस बावत धारा 18 के अधीन पदधारी की परिभा-ना काफी व्यापक है और ऐसे सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करती है जो लोक कर्तव्य का पालन करते हैं।

---

<sup>34</sup> कनाडा की जानकारी भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह के पांचवे सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, कनाडा पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश से लिया गया है UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.8 (2014); पारदर्शिता अंतररा-ट्रीय कनाडा की रिपोर्ट, यू.एन.सी.ए.सी. क्रियान्वयन पुनर्विलोकन ; सिविल सोसाइटी संगठन रिपोर्ट (2013) <[https://www.bennettjones.com/uploadedFiles/Publications/Articles/UNCAC\\_Review\\_TI-Canada.pdf](https://www.bennettjones.com/uploadedFiles/Publications/Articles/UNCAC_Review_TI-Canada.pdf)>, भी देखें, 8 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा गया.

3.4.3 अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में कनाडा विदेशी लोक पदधारी भ्र-टाचार अधिनियम (“सी.एफ.पी.ओ.ए.”) की धारा 3 के अधीन विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी के सक्रिय रिश्वतखोरी को दंडित करता है । वस्तुतः सी.एफ.पी.ओ.ए. के उपबंधों के अधीन रिश्वतखोरी करने में सहायता देने और दु-प्रेरित करने, रिश्वतखोरी करने के सामान्य आशय और दूसरों को रिश्वतखोरी करने की सलाह देने के साथ-साथ रिश्वतखोरी करने के -ड्यंत्र या प्रत्यत्न के लिए व्य-टि को भी अभियोजित करना संभव है । अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के अधीन उल्लेख के अनुसार विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारी की नि-क्रिय रिश्वतखोरी सी.एफ.पी.ओ.ए. के अधीन दंडित नहीं है । तथापि, रिश्वतखोरी छिपाने या सुकर बनाने के लिए “बही और अभिलेख” के छलसाधन, मिथ्याकरण और विनाश सी.एफ.पी.ओ.ए. (धारा 4) के अधीन अपराध गठित करता है ।

3.4.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 और 42 के अधीन क्षेत्राधिकार और राज्य क्षेत्रीयता के निबंधनों में सी.एफ.पी.ओ.ए. उन अपराधों पर अधिकारिता का प्रयोग करता है जो पूर्णतः या भागतः कनाडा के राज्यक्षेत्र में किए गए हैं । इसके अलावा सी.एफ.पी.ओ.ए. उनकी रा-ट्रीयता पर आधारित कनाडा कंपनियों और व्य-टियों के आचरण को भी इस बात पर ध्यान दिए बिना की कहां अभिकथित रिश्वतखोरी हुई है, समाहित करता है । 2013 के संशोधन के पूर्व सी.एफ.पी.ओ.ए. अपने राज्यक्षेत्र से पड़े अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपराध और कनाडा के बीच “वास्तविक और सारवान कड़ी” के अस्तित्व की अपेक्षा करता था । तथापि, यह अपेक्षा अब हटा दी गई है । दंड संहिता की उपधारा 7(4) लोक सेवा नियोजन अधिनियम के अधीन लोक सेवा कर्मचारियों द्वारा कार्यों और लोपों को भी ऐसी अधिकारिता का विस्तार करती है चाहे ऐसे कार्य या लोप कनाडा के बाहर ही किए गए हों । यह इस घटना पर ही किया गया है जहां प्रश्नगत आचरण उस स्थान पर अपराध है जहां यह किया गया है और कनाडा में (दोहरे आपराधिकता के सिद्धांत) अभ्यारोप्य अपराध भी है । 2013 के संशोधन रिपोर्ट अपवादों के निबंधनानुसार सी.एफ.पी.ओ.ए. ऐसे सुविधा समुदाय की प्रतिरक्षा का उपबंध करता है जहां संदाय नैमित्तिक प्रकृति के कार्य के लिए विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी द्वारा शीघ्रता करने या पालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं जो पदधारी के कर्तव्यों या कृत्यों का भाग गठित करते हैं, दंडित किए जाने से उन्मुक्त थे । 2013 के संशोधनों के साथ अब इस अपेक्षा को निरसित कर दिया गया है ।

## घ. इल सल्वाडोर<sup>35</sup>

3.5.1 इल सल्वाडोर ने वर्न 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और वर्न 2004 में इसका अनुसमर्थन किया। अनुसमर्थन पर अंतरराष्ट्रीय संधियां इल सल्वाडोर की घरेलू विधि का भाग हो गईं और प्रत्यक्षतः लागू की जा सकती हैं। देश की भ्र-टाचार विरोधी संस्थाओं में पारदर्शिता और भ्र-टाचार निवारण के अवर सचिव का कार्यालय सम्मिलित है जो गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यालय, अटर्नी जनरल के कार्यालय जिसमें एक इकाई है जो भ्र-टाचार में लड़ने में विशेषज्ञ है, वित्तीय अन्वेषण यूनिट जो अटर्नी जनरल के कार्यालय से सहबद्ध है, सरकारी नीति अधिकरण, संपरीक्षा न्यायालय, वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षणीय कार्यालय, न्यायपालिका समन्वित आयोग और अंततः न्यायपालिका का कार्यपालिक तकनीकी यूनिट सहबद्ध है।

3.5.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) के अधीन रा-ष्ट्रीय लोक पदधारी के सक्रिय रिश्वतखोरी का अपराध को इल सल्वाडोर की दंड संहिता के अनुच्छेद 335 (सक्रिय रिश्वतखोरी पर) और अनुच्छेद 310 (अपकरण पर) के अधीन दंडित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो विधायी या न्यायपालिक सत्ताओं में सेवा करते हैं दंड संहिता के अनुच्छेद 39 के अधीन यथा उपवर्णित “लोक पदधारी” की परिभाषा के अधीन सम्मिलित नहीं हैं। इन उपबंधों में तीसरे पक्षकारों के लिए किसी लाभ या फायदे का उल्लेख नहीं है।

3.5.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अधीन रा-ष्ट्रीय लोक पदधारियों के नि-क्रिय रिश्वतखोरी के संबंध में दंड संहिता अपकरण (अनुच्छेद 330) के लिए विनियम में रिश्वत की स्वीकृति, कृत्यों (अनुच्छेद 331) के दुरुपयोग के लिए विनियम में रिश्वत की स्वीकृति और उद्घापन (अनुच्छेद 327) को अपराधीकृत करता है। तीसरे पक्षकारों के लाभों को पुनः इस अपराध के परिक्षेत्र से अपवर्जित किया गया है।

3.5.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के अधीन विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पदधारियों की सक्रिय रिश्वतखोरी दंड संहिता की धारा 335क के अधीन आती है जो संक्रमणकालीन रिश्वतखोरी के बारे में है। आज तक इल सल्वाडोर में संक्रमणकालीन रिश्वतखोरी के लिए कोई अभियोजन नहीं हुआ है। यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के अधीन नि-क्रिय रिश्वतखोरी का अपराध देश के किसी विधान के अधीन नहीं आता है।

<sup>35</sup> इल सल्वाडोर की जानकारी भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह के पांचवें सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, इल सल्वाडोर पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश से लिया गया है, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22 (2013).

3.5.5 अधिकारिता के संदर्भ में इल सल्वाडोर यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 42 के अधीन निर्दिष्ट अधिकांश परिस्थितियों पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है । तथापि, (1) विदेश में अपने राष्ट्रों द्वारा किए गए भ्र-टाचार के अपराध, (2) धनशोधन के अनुसरण में अपने राज्यक्षेत्र के बाहर किए गए भागीदारी, तैयारी, प्रयत्न और अन्य कार्य, (3) यू.एन.सी.ए.सी. के राज्य पक्षकार के विरुद्ध किए गए अपराध और ऐसे विदेशी राष्ट्रों जो उसके राज्यक्षेत्र में उपस्थित हैं द्वारा किए गए अपराध पर अपनी अधिकारिता के उपयोग पर स्प-टता की कमी विद्यमान है । इल सल्वाडोर की घरेलू विधियों में यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 42 के अधीन यथापेक्षित अन्य राज्य पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों से परामर्श करने के किसी तंत्र का भी उपबंध नहीं है । प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए दोहरी अपराधिता अपेक्षित है ।

### ड मलेशिया<sup>36</sup>

3.6.1 मलेशिया ने वर्ष 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात् वर्ष 2008 में अनुमसर्थन किया । मलेशिया के भ्र-टाचार विरोधी निकायों में मलेशियन भ्र-टाचार विरोधी आयोग, अटर्नी जनरल चेम्बर, रॉयल मलेशिया पुलिस, रॉयल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग, मलेशिया सेंट्रल बैंक का वित्तीय आसूचना यूनिट, विदेश मंत्रालय, लोक सेवा विभाग और न्यायपालिका सम्मिलित हैं ।

3.6.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) की बावत मलेशिया ने मलेशिया भ्र-टाचार विरोधी आयोग अधिनियम (“एम.ए.सी.सी.ए”) की धारा 16(ख), 17(ख) और 21 के अधीन अपने रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय रिश्वतखोरी को दंडित करने के उपायों को अपनाया है । इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 137 के साथ-साथ दंड संहिता की धारा 214 और 161 से 165 तक रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय रिश्वतखोरी के प्रयोजन के लिए भी सुसंगत हैं । इस बावत यदि प्रश्नगत आचरण एम.ए.सी.सी.ए. और किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय है तो अपराधी केवल एम.ए.सी.सी.ए. के अधीन आरोपित होगा । इसके अतिरिक्त मलेशिया की कंट्री रिव्यू रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि रा-ट्रीय लोक पदधारियों द्वारा प्राप्त सभी उपहारों को एम.ए.सी.सी.ए की धारा 25(1) और (3) के अनुसार सूचित किया जाए । उपहार प्राप्त किए जाने और सूचित न किए जाने की दशा में इसे भ्र-टता से प्राप्त किया गया समझा जाता है ।

<sup>36</sup> मलेशिया की जानकारी ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्र कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2010-2013 के लिए फिलिपिन्स और केनिया द्वारा पुनर्विलोकन, ‘मलेशिया का कंट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट’ से लिया गया । भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह का पांचवां सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, मलेशिया पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1 (2013) भी देखें.

3.6.3 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अधीन नि-क्रिय रिश्वतखोरी एम.ए.सी.सी.ए. की धारा 16(क), 17(क) और 21 के अधीन आती है। सक्रिय रिश्वतखोरी के अधीन आने वाली विभिन्न रूपों में किसी परितो-ण का अपने लिए या दूसरे के लिए याचना करना, प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए सहमत होना या स्वीकार करने के लिए सहमत होना और अभिप्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना सम्मिलित है। रा-ट्रीय लोक पदधारियों के नि-क्रिय रिश्वतखोरी के तत्समान अपराध दंड संहिता की धारा 161, 162, 163, 165 और 215 के अधीन भी आती हैं। दंड संहिता की धारा 161 लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य की बावत विधिक पारिश्रमिक से भिन्न परितो-ण लेने को अविधिसम्मत ठहराती है और यह “किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक होने की प्रत्याशा करने” को भी लागू होती है।

3.6.4 विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय और नि-क्रिय रिश्वतखोरी पर अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 एम.ए.सी.सी.ए. के धारा 22 के अधीन क्रियान्वित हैं। विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारी के रिश्वतखोरी के अपराध को वर्न 2009 में यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। यू.एन.सी.ए.सी. में “विदेशी लोक पदधारी” और “लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी” की परिभा-नाएं हैं जो यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 2 के अधीन तत्समान परिभा-नाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। मलेशिया में, विधायिका ने पूर्वोक्त अपराधों वाले मामलों के अभियोजन को सरल बनाने के लिए एम.ए.सी.सी.ए. के धारा 50 के अधीन एक आबद्धकारी उपधारणा का भी उपबंध किया है। उपधारणा तभी प्रवर्तन में आती है जब अपराध के आवश्यक तत्व अभियोजन द्वारा स्थापित किए जाएं। इस उपधारणा के अधीन यदि एक बार यह साबित किया जाता है कि रा-ट्रीय या विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी द्वारा परितो-ण प्राप्त किया गया है तो यह उपधारित किया जाए कि यह भ्र-टता से प्राप्त किया गया है जब तक प्रतिकूलतः साबित न किया जाए। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के संबंध में मलेशिया ने यू.एन.सी.ए.सी. को प्रस्तुत अपनी कंटी रिव्यू रिपोर्ट में कूटनीतिक विशेष-ाधिकार अधिनियम और अंतररा-ट्रीय संगठन अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से एम.ए.सी.सी.ए. के उपबंधों को संगत बनाने के लिए तकनीकी सहायता का अनुरोध किया है।

3.6.5 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 और 42 के अधीन अधिकारिता के संदर्भ में दंड संहिता की धारा 2, 3 और 4, यू.एन.सी.ए.सी. की धारा 66 और धनशोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पो-ण अधिनियम की धारा 82 सुसंगत हैं। किसी नागरिक



या स्थायी निवासी द्वारा मलेशिया के बाहर अपराध किए जाने की घटना में अधिकारिता का प्रयोग अपराध पर किया जा सकेगा मानो यह मलेशिया के राज्यक्षेत्र में निहित किया गया है। किसी नागरिक या मलेशिया सरकार की संपत्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को भी अधिकारिता का विस्तार है। दोहरे अपराधिता के सिद्धांत को मलेशिया में मान्यता प्रदान किया गया है और प्रत्यर्पणयोग्य अपराधों के संदर्भ में लागू होता है।

### च. कोरिया गणराज्य (दक्षिणी कोरिया)<sup>37</sup>

3.7.1 कोरिया गणराज्य ने वर्ष 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और वर्ष 2008 में इसका अनुसमर्थन किया। कोरिया गणराज्य के आपराधिक अधिनियम के अनुच्छेद 133, 129 और 130 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) और (ख) के अधीन यथापेक्षित रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय और नि-क्रिय दोनों रिश्वतखोरी को दंडित करते हैं। राज्य लोक पदधारी अधिनियम के अनुच्छेद 2 और स्थानीय लोक पदधारी अधिनियम के अनुच्छेद 2 के अधीन यथा परिभाषित “लोक पदधारी” पद नियुक्त और निर्वाचित पदधारी, न्यायपालिका के सदस्य और अभियोजकों सहित व्य-टियों के व्यापक समूह को आवृत्त करता है।

3.7.2 कोरियन विधि यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के अधीन यथापेक्षित विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की सक्रिय रिश्वतखोरी को भी अपराधिकृत करता है। अंतररा-ट्रीय कारबार में विदेशी लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी से निपटने के लिए अधिनियम के अधीन अनुच्छेद 2 और 3 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के अधीन यथा परिकल्पित सक्रिय रिश्वतखोरी के सभी तत्वों को आवृत्त करता है। तथापि, यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के अधीन नि-क्रिय रिश्वतखोरी का अपराध विनिर्दि-टतः विधि विरुद्ध नहीं है। फिर भी कोरिया गणराज्य “न्यास भंग” पर अपने उपबंध के माध्यम से आपराधिक अधिनियम के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के नि-क्रिय रिश्वतखोरी को अभियोजित कर सकता है। ऐसे पदधारी धनशोधन प्रचालनों के लिए अभियोजन के भी अधीन हो सकते हैं।

3.7.3 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 और 42 के संदर्भ में, आपराधिक अधिनियम का अनुच्छेद 2, 3, 4, 6 पर्याप्ततः ऐसे दृ-टांतों की चर्चा करता है जहां अधिकारिता का

<sup>37</sup> कोरिया गणराज्य की जानकारी भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह के पांचवें सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, इल सल्वाडोर पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश से लिया गया है, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.7 (2013).

प्रयोग राज्यक्षेत्रीयता के सिद्धांत के अधीन सहित किया जा सकता है । इसके अलावा कोरिया गणराज्य अपने ऐसे राष्ट्रों पर भी अधिकारिता का प्रयोग करता है जो अपने राज्यक्षेत्र के बाहर और स्वयं के विरुद्ध अपराध और अपनी सीमा के बाहर अपने राष्ट्रों पर अपराध करते हैं ।

3.7.4 मार्च, 2015 में कोरिया गणराज्य ने नई भ्र-टाचार विरोधी विधि प्रख्यापित की । तथापि, कई आधारों पर कठोर आलोचना के कारण विधि को संवैधानिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई अतः प्रवृत्त नहीं किया गया है ।<sup>38</sup>

### छ. दक्षिणी अफ्रीका<sup>39</sup>

3.8.1 दक्षिणी अफ्रीका ने वर्ष 2004 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और अनुसमर्थन किया । ऐसी संस्थाएं जो दक्षिणी अफ्रीका में भ्र-टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं, में भ्र-टाचार विरोधी टास्क टीम, पूर्वोक्ता अपराध अन्वेषण निदेशालय, राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण, विशिष्ट वाणिज्यिक अपराध यूनिट, विशेष अन्वेषण यूनिट, राष्ट्रीय भ्र-टाचार विरोधी फोरम और लोक संरक्षक सम्मिलित हैं ।

3.8.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) और (ख) को भ्र-ट क्रियाकलाप निवारण और समाघात अधिनियम, 2004 (“पी.आर.ई.सी.सी.ए.”) की धारा 3 के अधीन संविदाबद्ध किया गया है जो सामान्य भ्र-टाचार के अपराध को अर्थात् किसी व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर जो विधि विरुद्ध है या शक्ति के दुरुपयोग या न्यास भंग की कोटि का है किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः परितोषण के प्रस्ताव (खंड (ख)) या स्वीकृति (खंड (क)) को अपराधिकृत करता है । “लोक अधिकारी” धारा 1 के अधीन परिभाषित है किंतु विनिर्दिष्टतः विधायकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को सम्मिलित नहीं करता है । फिर भी ऐसे पदधारियों की कार्रवाई धारा 7, 8 और 9 के अधीन पी.आर.ई.

---

<sup>38</sup> जेयूप एस. कवाक, दक्षिणी कोरिया विधि निर्माता भ्र-टाचार विरोधी विधि अनुमोदित’, वाल स्ट्रीट पत्रिका (3 मार्च, 2015) <<http://www.wsj.com/articles/south-korea-lawmakers-approve-anticorruption-law-1425387240>>, 8 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा गया ; दक्षिणी कोरिया प्रख्यापित विवादित भ्र-टाचार विरोधी विधि <[http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc\\_news?disp3\\_1205404377\\_text](http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_1205404377_text)>, पर उपलब्ध 8 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा गया .

<sup>39</sup> दक्षिणी अफ्रीका की जानकारी ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्र कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2010-2015 के लिए माली और सेनेगल द्वारा पुनर्विलोकन, ‘दक्षिणी अफ्रीका कंट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट’ से लिया गया । भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह का पांचवां सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, दक्षिणी अफ्रीका पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.9 (2012). भी देखें.

सी.सी.ए. के व्याप्ति के भीतर आती है ।

3.8.3 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में पी.आर.ई.सी.सी.ए. की धारा 5 को धारा 3 के साथ पढ़ने पर यह विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय रिश्तखोरी के अपराध को अपराधीकृत करती है । अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के अधीन ऐसे पदधारियों की सक्रिय रिश्तखोरी पी.आर.ई.सी.सी.ए. के अधीन विनिर्दि-टतः दंडित नहीं है । तथापि, पी.आई.ई.सी.सी.ए. की धारा 3 के अधीन सामान्य प्रतिभेध के माध्यम से जो “किसी व्यक्ति” को लागू होता है, यह विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी द्वारा रिश्त की स्वीकृति को दंडित करना संभव है ।

3.8.4 अधिकारिता के संदर्भ में मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिनियम, 1994 की धारा 90 और पी. आर. ई. सी.सी.ए. की धारा 35 ऐसे सभी दांडिक अपराधों पर अधिकारिता के प्रयोग को अनुज्ञात करती हैं जो दक्षिणी अफ्रीका के राज्यक्षेत्र के भीतर किए जाते हैं । पी.आई.ई.सी.सी.ए. की धारा 35(1) के अधीन इस बात के सिवाय कि अपराध कठित करने वाला कार्य अभिकथित अपराधी के इशारे पर इसके किए जाने के स्थल पर वह नागरिक है या सामान्य निवासी है या दक्षिणी अफ्रीका के राज्यक्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है, अधिकारिता अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों पर प्रयोक्तव्य है । धारा 35(2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग उन अपराधों पर भी किया जा सकता है जो इस बात के होते हुए भी कि इसके किए जाने के स्थान पर अपराध गठित करने वाला कार्य दक्षिणी अफ्रीका के बाहर हुआ है यदि (क) ऐसा कार्य दक्षिणी अफ्रीका के कारबार, लोक निकाय या किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता है या प्रभावित करने का आशय रखता है, (ख) अभिकथित अपराधी दक्षिणी अफ्रीका को राज्यक्षेत्र में पाया जाता है, और (ग) अपराधी का प्रत्यर्पण दक्षिणी अफ्रीका द्वारा नहीं किया गया है । दक्षिणी अफ्रीका के ऐसे नागरतक जो विदेशी अधिकारिताओं में अपराध करते हैं किंतु विदेश में प्रत्यर्पण नहीं किए गए हैं, को भी पी.आर.ई.सी.सी.ए. की धारा 35(2) के अधीन अभियोजित किया जा सकता है ।

## ज. स्विटजरलैंड<sup>40</sup>

3.9.1 स्विटजरलैंड ने वर्न 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और वर्न

<sup>40</sup> स्विटजरलैंड की जानकारी ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्ट कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2010-2015 के लिए अल्जेरिया और फिन्लैंड द्वारा पुनर्विलोकन, “स्विटजरलैंड कंट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट” से लिया गया । भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्ट कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन, क्रियान्वयन पुनर्विलोकन समूह का पांचवां सत्र, सचिवालय द्वारा टिप्पण, स्विटजरलैंड पर कार्यपालिक संक्षिप्तांश, UN Doc. No. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.2 (2012) भी देखें.

2009 में इसका अनुसमर्थन किया। भ्र-टाचार के विरुद्ध अंतर विभागीय (अंतर मंत्रालयीय) कार्य समूह की स्थापना देश में भ्र-टाचार निवारण के लिए किया गया है, यद्यपि समूह के पास प्रशासनिक जांच या आपराधिक अन्वेषण करने की कोई शक्ति नहीं है। अटार्नी जनरल का कार्यालय फेडरल सरकार के विरुद्ध आपराधिक अन्वेषण और अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। पारस्परिक विधिक सहायता के परिवर्ति मुद्दों का भी निपटान अटार्नी जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। धनशोधन रिपोर्टिंग कार्यालय (1) वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा सूचित संदेहास्पद तथ्यों को एकत्र करने और विश्लेषण करने और (2) ऐसे दृ-टांतों में जहां तथ्य सुआधारित हैं, कन्फेडरेशन के आपराधिक अभियोजन प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना अग्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

3.9.2 यू.एन.सी.ए.सी. के क्रमशः अनुच्छेद 15 और 16 के अधीन अपराधों के खंडन में स्विस दंड संहिता का अनुच्छेद 322 रा-ट्रीय पदधारियों, विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की सक्रिय और नि-क्रिय रिश्वतखोरी के सभी अपराधों को अपनी व्याप्ति के भीतर समाहित करता है। रिश्वतखोरी उपबंध रा-ट्रीय लोक पदधारी को ऐसी कार्रवाई को करने के उद्दीपन को भी दंडित करता है जो उसके कर्तव्यों के प्रतिकूल हैं। यद्यपि, अप्रत्यक्ष रिश्वतखोरी विनिर्दि-टतः अपराधीकृत नहीं है फिर भी रा-ट्रीय भ्र-टाचार विरोधी विधि का निर्वचन और उपयोजन मध्यवर्तियों के माध्यम से किए गए रिश्वतखोरी के अभियोजन की अनुज्ञा देती है।

3.9.3 स्विस न्यायालयों ने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 42 के अनुसार अपनी अधिकारिता स्थापित की है और ऐसी अधिकारिता के प्रयोग के लिए सक्रिय और नि-क्रिय व्यक्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। स्विस आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 7(1) के अधीन स्विस रा-ट्रिकता के व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध स्विस राज्यक्षेत्र के बाहर किए गए महापराध और उपापराध स्विस आपराधिक अधिकारिता के भीतर आते हैं जहां तक दोहरे अपराधिता का समाधान होता है। स्विस न्यायालय यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 42(2) के उप पैराग्राफ (ख) और उप पैराग्राफ (घ) में निर्दि-ट मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। आपराधिक परिस्थितियों के अधीन दंड अधिकारिता की स्थापना ऐसे विदेश में किए गए अपराधों के संबंध में भी की जा सकती है जहां अभिकथित अपराधी और पीड़ित दोनों विदेशी रा-ट्रिक हैं। ये परिस्थितियां ऐसे अपराधों के संबंध में हो सकती हैं जो अंतररा-ट्रीय समुदाय द्वारा निंदनीय हैं या ऐसे मामले जहां गैर-सूचना के सिद्धांत लागू होने के कारण प्रत्यर्पण अनुरोध को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है।

## झ. यूनाइटेड स्टेट<sup>41</sup>

3.10.1 यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका (“यू.एस.”) ने वर्न 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और वर्न 2006 में इसका अनुसमर्थन किया। यू.एस. में भ्र-टाचार विरोधी प्रयासों के लिए मुख्य प्रवर्तन निकाय न्याय विभाग (“डी.ओ.जे.”) है जो घरेलू लोक पदधारियों, विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों की रिश्वतखोरी पर नियंत्रण रखता है। फेडरल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन (“एफ.बी.आई.”), अंतररा-द्रीय भ्र-टाचार विरोधी यूनिट और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (“एस.ई.सी.”) यथावश्यक डी.ओ.जे. की सहायता करते हैं। यू.एस. दंड संहिता के अधीन फेडरल रिश्वतखोरी कानून (19 यू.एस. संहिता § 201) और विदेशी भ्र-ट आचरण अधिनियम (“एफ.सी.पी.ए.”) सुसंगत रिश्वतखोरी अपराधों को आवृत्त करते हैं।

3.10.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) के संदर्भ में, रा-द्रीय लोक पदधारियों की सक्रिय रिश्वतखोरी यू.एस. संहिता के अधीन फेडरल रिश्वतखोरी कानून की धारा 201(ख)(1) के अधीन दंडित हैं। अनुच्छेद 15 के खंड (क) के सभी तत्व “प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः साशय”, “किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता” और “विधिपूर्ण कर्तव्य करने या के अतिक्रमण में कोई कार्य करने का लोप करने” और “मूल्य की कोई वस्तु देने, प्रस्ताव करने या वादा करने” सहित फेडरल रिश्वतखोरी कानून के अंतर्गत आते हैं। यू.एस. के भिन्न-भिन्न राज्यों ने अनुच्छेद 15 के खंड (क) के अधीन यथावर्णित भ्र-ट आचरण का प्रति-नेध करने के लिए अपनी निजी विधियां अधिनियमित की हैं।

3.10.3 अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अधीन यथावर्णित रा-द्रीय लोक पदधारियों की नि-क्रिय रिश्वतखोरी यू.एस. संहिता की 18 यू.एस.सी. § 201(ख)(2) और 18 यू.एस.सी. § 201(ग) (लोक पदधारियों और साथियों की रिश्वतखोरी), 18 यू.एस.सी. § 1346 (ईमानदार सेवाओं के अमूर्त अधिकार के किसी अन्य को “कपट करने की स्कीम या युक्ति” की परिभा-ना), 18 यू.एस.सी. § 1951 (धमकी या हिंसा द्वारा वाणिज्य में हस्तक्षेप - हॉब्स अधिनियम), 18 यू.एस.सी. § 1952 (धोखाधड़ी उद्यमों की

---

<sup>41</sup> यूनाइटेड स्टेट की जानकारी ओ-धि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्ट कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2010-2015 के लिए स्वीडन और मेसोडानिया का पूर्व युकोस्लाब गणराज्य द्वारा पुनर्विलोकन, “यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका कंटी पुनर्विलोकन रिपोर्ट” से लिया गया। यू.एस. विदेशी भ्र-ट आचरण अधिनियम के संसाधन मार्गदर्शिका, यू.एस. प्रतिभूत और विनिमय आयोग (2012) के न्याय और प्रवर्तन प्रभाग के यू.एस. विभाग के दंड प्रभाग <<http://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>>, पर उपलब्ध, 8 अगस्त, 2015 को अंतिम बार देखा गया।

सहायता में अंतरराज्यीय विदेशी यात्रा) सहित विभिन्न विधियों के अधीन दंडित है । अनुच्छेद 15 के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित तत्व पर्याप्ततः इन विधियों के अधीन आते हैं । भिन्न-भिन्न राज्यों में पुनः पैराग्राफ 2 के अधीन अपराध के क्रियान्वयन के लिए अपनी निजी विधियां अधिनियमित की हैं ।

3.10.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों की सक्रिय रिश्वतखोरी एफ.सी.पी.ए., टाइटिल 15, यू.एस. संहिता के अधीन दंडित है । इसके अतिरिक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यू.एस. फेडरल ला प्रवर्तन प्राधिकारी प्रश्नगत आचरण को दंडित करने के लिए अन्य फेडरल विधियों का अवलंब ले सकते हैं । इन विधियों में यूनाइटेड स्टेट संहिता का शीर्ष 18, धारा 371 (यूनाइटेड स्टेट के विरुद्ध अपराध करने का -ड्यंत्र) 1341 (डाक कपट), 1343 (तार कपट), 1952 (धोखाधड़ी उद्यमों की सहायता के लिए अंतरराज्यीय और विदेशी यात्रा या पारे-ण), और 1956 (धनशोधन) सम्मिलित हैं । एफ.सी.पी.ए. के अधीन सक्रिय रिश्वतखोरी पर नियंत्रण रखना डी.ओ.जे., एफ.बी.आई. और यू.एस. एस.ई.सी. की महत्वपूर्ण पूर्विकता है । जहां तक एफ.सी.पी.ए. के अधीन संचालित किए जाने वाले अभियोजनों में व्यक्ति और विदेशी दोनों और घरेलू कंपनियां अंतर्वर्तित हैं । विदेशी राष्ट्रों के संदर्भ में, एफ.सी.पी.ए. ऐसे घटनाओं के ही विशिष्ट संव्यवहार को लागू होता है जहां दुराचार वाले संव्यवहार का भाग यूनाइटेड स्टेट की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होता है । एफ.सी.पी.ए. यू.एस. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी राष्ट्रिकता पर ध्यान दिए बिना सूचीबद्ध कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों और अभिकर्ताओं को भी लागू होता है ।

3.10.5 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में, एफ.सी.पी.ए. विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों के निष्क्रिय रिश्वतखोरी को सुस्प-टतः दंडित नहीं करता । यह कतिपय नीति और अधिकारितागत विनयों के कारण है । फिर भी, यू.एस. तार कपट कानून के अनुसरण में भ्र-टाचार के लिए लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के कर्मचारियों और धनशोधन के लिए विदेशी पदधारियों को अभियोजित कर सकता है और किया है ।

3.10.6 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 और 42 के संदर्भ में, यू.एस. विधि ऐसे सभी कार्यों पर अधिकारिता का प्रयोग अनुज्ञात करती है जो यू.एस. विधि का अतिक्रमण करते हैं और यू.एस. राज्यक्षेत्र के भीतर किए जाते हैं । सक्रिय रिश्वतखोरी के अपराध के संदर्भ में, एफ.सी.पी.ए. विनिर्दि-टतः यू.एस. राष्ट्रिकों और विदेशी कारबारियों द्वारा किए गए कार्यों पर अधिकारिता का प्रयोग अनुज्ञात करता है । इसके

अतिरिक्त यू.एस. के राज्यक्षेत्र के भीतर विदेशी राष्ट्रियों और विदेशी कारखानों द्वारा रिश्वत के अग्रसरण में किए गए कार्य भी यू.एस. की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आते हैं। दोहरी अपराधिता को मान्यता प्रदान किया गया है और अभिकथित पराधियों को यू.एस. से प्रत्यर्पण किए जाने की अपेक्षा है। प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1934 के अधीन यथावर्णित रिश्वतखोरी के आरोप के लिए लागू प्रतिरक्षाओं में (1) ऐसे मूल्य जो दिया गया है का संदाय, भेंट, प्रस्ताव या किसी वस्तु का वादा लिखित विधियों और विदेशी पदधारी के विनियमों के अधीन विधिसम्मत था; (2) संदाय, भेंट, प्रस्ताव या मूल्यवान किसी वस्तु का वादा जो किया गया था, युक्तियुक्त और विदेशी पदधारी द्वारा या उसकी ओर से उपगत यात्रा और रहन-सहन व्यय जैसे सदभाविक व्यय था और प्रत्यक्षतः (क) उत्पादों या सेवाओं के प्रोन्नयन, प्रदर्शन या स्प-टीकरण; या (ख) विदेशी सरकार या उसके अभिकरण के साथ किसी संविदा के नि-पादन या पालन सम्मिलित है।

## ज. यूनाइटेड किंगडम<sup>42</sup>

3.11.1 ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैण्ड (“यू.के.”) ने वर्ष 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात् वर्ष 2006 में इसका अनुसमर्थन किया। जैसा कि इसके कंट्री रिव्यू रिपोर्ट में उल्लिखित है यू.के. रिश्वतखोरी और भ्र-टाचार को दूर करने के लिए एक अनुकरणीय प्रणाली प्रदर्शित करता है। यू.के. में भ्र-टाचार को रोकने के लिए संस्थागत अवसंरचना में मुख्यतः अंतररा-ट्रीय भ्र-टाचार विरोधी चैम्पियन जो कैबिनेट के भीतर है, इंग्लैंड और वेल्स के अटार्नी जनरल का कार्यालय, क्राउन अभियोजन सेवा (“सी.पी.एस.”) और गंभीर कपट कार्यालय (“एस.एफ.ओ.”) और क्राउन कार्यालय के भीतर गंभीर और संगठित अपराध प्रभाग शामिल हैं।

3.11.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 15 के खंड (क) और (ख) के अधीन यथावर्णित रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय और नि-क्रिय दोनों रिश्वतखोरी यू.के. रिश्वतखोरी अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 5 और 11 के अधीन दंडित हैं। अधिनियम असम्यक् और विधि विरुद्ध लाभ के फायदे का वर्णन करने के लिए “लोक पदधारी” की अवधारणा का उपयोग नहीं करता, तद्व द्वारा यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 2(क) के

<sup>42</sup> यूनाइटेड किंगडम की जानकारी ओ-नधि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्र कार्यालय, पुनर्विलोकन चक्र 2011-2012, ओ-नधि और अपराध पर संयुक्त रा-ट्र कार्यालय के लिए ग्रीस और इजराईल द्वारा पुनर्विलोकन, ‘यूनाइटेड किंगडम कंट्री पुनर्विलोकन रिपोर्ट’ से लिया गया; भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन का स्वनिर्धारण-अध्याय 3 और 4, जस्टिन बिलियम, नीति सलाहकार ओ-नधि और अपराध का संयुक्त रा-ट्र कार्यालय, भ्र-टाचार विरोधी, अंतररा-ट्रीय विकास विभाग (2011) भी देखें।

अधीन जैसी परिभाषा की आवश्यकता से दूर रहता है । परिणामतः अधिनियम इसके बजाए “कृत्य या क्रियाकलाप” पर फोकस करता है जिससे रिश्वत का संबंध है । यह “कृत्य या क्रियाकलाप” ऐसे विधिविरुद्ध आचरण जो यू.के. बाहर किए जाते हैं, को रिश्वतखोरी अधिनियम लागू करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं इस प्रकार इसकी व्याप्ति के भीतर सभी लोक सेवक (जैसे मिलिट्री या कूटनीतिक स्टाफ) आते हैं । सक्रिय और निःक्रिय रिश्वतखोरी के अपराधों के तत्त्वों की चर्चा रिश्वतखोरी अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन काफी विश्वास से की गई है । वह ऐसे दृ-टांतों को भी समाहित करते हैं जहां कोई भेंट या अन्य फायदा वस्तुतः नहीं दिया गया या प्राप्त किया गया है । पूर्वापेक्षा में या किसी रिश्वत के परिणामस्वरूप किसी कार्यालयीय कृत्य का अनुचित पालन भी रिश्वतखोरी अधिनियम के अधीन अपराध गठित करता है । मूर्त और अमूर्त दोनों फायदे भ्र-ट आचरण के प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं ।

3.11.3 अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में सक्रिय रिश्वतखोरी के अपराध के अपेक्षित तथ्य रिश्वतखोरी अधिनियम की धारा 6 के अधीन आते हैं । आलिप्त आचरण में ऐसे दृ-टांत सम्मिलित हैं जहां कोई भेंट या अन्य फायदा वस्तुतः नहीं दिया गया या प्राप्त किया गया । रा-ट्रीय लोक पदधारियों के सक्रिय और निःक्रिय रिश्वतखोरी के प्रतिकूल धारा 6 तीसरे पक्षकारों के भेंट को भी सम्मिलित करता है जो विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी के अनुरोध पर या उसकी “सहमति या उपमति” से दिए गए हैं । सामाजिक रूप से पर्याप्त भेंट या उपहारों का निर्वचन ऐसे दृ-टांतों में ही रिश्वतखोरी गठित न करने वाले के रूप में किया जा सकता है जहां यह अवधारित हो कि उनके प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने के आशय से नहीं दिए गए थे । रा-ट्रीय लोक पदधारियों, विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय और निःक्रिय रिश्वतखोरी के लिए अनुशास्तियां, रिश्वतखोरी अधिनियम के अधीन एक जैसी हैं । यू.के विधि संबद्ध विदेश की घरेलू विधि के अधीन विदेशी लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी को अपराध गठित करने की विनिर्दि-ट रूप से अपेक्षा नहीं करता ।

3.11.4 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में, यू.के. रिश्वतखोरी अधिनियम की धारा 2 के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की निःक्रिय रिश्वतखोरी को दंडित करता है । धारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति जिसके अंतर्गत विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन का पदधारी है द्वारा रिश्वत की स्वीकृति रिश्वतखोरी अधिनियम के अधीन दंडित अपराध गठित करता है । इस प्रकार यद्यपि विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों द्वारा निःक्रिय रिश्वतखोरी को कोई विनिर्दि-ट अपराध



नहीं है फिर भी नि-क्रिय रिश्वतखोरी के अंदर आने वाला सामान्य अपराध ऐसे सभी पदधारियों को लागू होते हैं ।

3.11.5 यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अधिकारितागत खंडों के संदर्भ में, यू.के. के राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए भ्र-टाचार के सभी कार्य यू.के. दंड विधि के अधीन दंडनीय है । इसके अतिरिक्त अधिकारिता का प्रयोग यू.के. पोत पर बाहर किए गए अपराधों पर भी किया जा सकता है । विशेष-कर रिश्वतखोरी के अपराध के संदर्भ में रिश्वतखोरी अधिनियम की धारा 12 विस्तारित सक्रिय रा-ट्रिकता सिद्धांत को ही सूचीबद्ध करती है जिसमें ऐसे सभी व्यक्ति जिनका “यूनाटेड किंगडम से गहरा संबंध है”, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश नागरिक, यू.के. में रहने वाला साधारणतः व्यक्ति, यू.के. विधि के अधीन निगमित निकाय (विदेशी कंपनियों की यू.के. समनु-ंगी सहित) हैं रिश्वतखोरी के उपबंधों के लागू होने की व्याप्ति के भीतर आते हैं । रिश्वतखोरी के आरोप को लागू प्रतिरक्षा के अंतर्गत (1) लिखित विधि जो देश या संबद्ध राज्यक्षेत्र में लागू हैं, (2) यात्रा सहित सद्भावित व्यय जो संवर्धनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित है और (3) ऐसी कंपनियों द्वारा सम्यक् सतर्कता जो यह सुनिश्चित करती है कि उसका कोई कर्मचारी, अभिकर्ता या कोई अन्य सहबद्ध व्यक्ति रिश्वतखोरी के कार्य में लिप्त नहीं है, आते हैं ।

3.11.6 उपरोक्त चर्चा के आलोक में यह नि-कर्न निकाला जा सकता है कि ऐसे विभिन्न अधिकारिताओं के विधान जो यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के अधीन सक्रिय और नि-क्रिय रिश्वतखोरी को दंडित करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा कूटनीतिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए सतर्कता के साथ करते हैं । सर्वेक्षण किए गए 10 देशों ने यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 1 के अधीन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के सक्रिय रिश्वतखोरी को दंडित किया है । तथापि अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में केवल दो देश (मलेशिया और स्विटजरलैंड) के पास अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 2 पर उनकी रिश्वतखोरी विधि के अधीन विनिर्दि-ट उपबंध है । शे-न 8 देशों में, तीन(आस्ट्रेलिया, कनाडा और इल सल्वाडोर) किसी भी परिस्थिति में विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की नि-क्रिय रिश्वतखोरी को दंडित नहीं करते, यद्यपि पांच (आस्ट्रिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, यू.के. और यू.एस.ए.) के पास ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू सामान्य उपबंध हैं जिनका अर्थान्वयन विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों के नि-क्रिय रिश्वतखोरी को समाहित करने के लिए किया जा सकता है । यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 के साथ पठित अनुच्छेद 42 के अधीन रा-ट्रिकता और राज्यक्षेत्रीयता के सिद्धांतों का पालन इल सल्वाडोर के सिवाए सभी देशों में किया गया है जहां इन सिद्धांतों का समग्र उपयोजन स्प-ट नहीं है ।

## अध्याय 4

### विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 का आलोचनात्मक विश्लेषण

4.1 विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 (“2015 विधेयक”) का अधिनियमन यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में किया गया है जिस पर भारत में 9 दिसंबर, 2005 को हस्ताक्षर किए और 9 मई, 2011 को अनुसमर्थन किया। 2015 विधेयक का आशय एक समेकित विधान का प्रयोजन पूरा करना है जिसमें यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16(1) [ सक्रिय रिश्वतखोरी] और अनुच्छेद 16(2) [निष्क्रिय रिश्वतखोरी] दोनों के अनुसरण में उपबंध अंतर्वि-ट हैं। खंड 1(2) के द्वारा यह राज्यक्षेत्रीय सिद्धांत और रा-ट्रिक सिद्धांत के आधार पर दोनों को लागू होने के लिए है। इसमें तीन मुख्य भाग हैं -

4.2 पहला, विधेयक के अधीन अपराध स्थापित किए गए हैं ; दूसरा, ऐसे अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन की प्रक्रियाएं ; तीसरा, विधेयक का अन्य विधानों से आंतरिक संबंध और प्रकीर्ण मामले।

4.3 विधेयक के खंड 3 और 4 में इसके मुख्य अपराध हैं। अनुच्छेद 16(2) के अनुसरण में अधिनियमित खंड 3 व्यापक रूप से विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी द्वारा रिश्वत लेने को दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 16(1) के अनुसरण में अधिनियमित खंड 4 विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को रिश्वत देना दंडनीय बनाता है। तथापि, खंड 4 के प्रचालन का एक अपवाद वाणिज्यिक संगठनों के लिए बनाया गया है यदि व्यय युक्तियुक्त हों और संविदा की अभिवृद्धि, पालन से संबंधित हैं या संगठन के पास ऐसे आचरण में लगे होने से व्यक्तियों को निवारित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया है।

4.4 दोनों अपराधों को स्थापित करने की मुख्य अपेक्षा असम्यक् लाभ का अस्तित्व है। खंड 3 में विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को जो वह स्वीकार करता है असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करने वाला होना चाहिए ; इसके समतुल्य खंड 4 में रिश्वत देने वाला विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को असम्यक् लाभ देता हो। इसके अतिरिक्त खंड 4 में रिश्वत अंतररा-ट्रीय कारबार के संचालन के संबंध में लाभ अभिप्राप्त करने के लिए दिया जाना चाहिए। रिश्वत लेने या देने के प्रयत्न और ऐसे अपराधों के करने का दु-प्रेरण खंड 5 के अधीन दंडनीय है।

4.5 खंड 6 से 12 ऐसी प्रक्रिया के बारे में है जिसका अनुसरण विधेयक के अधीन अपराधों का अभियोजन करने के लिए किया जाएगा। वह इस सोच पर आधारित है कि विधेयक का राज्यक्षेत्रातीत उपयोजन होगा और इस प्रकार प्रवर्तन के लिए विदेशों से करार की अपेक्षा है। तदनुसार, खंड 6 केंद्रीय सरकार को प्रवर्तन और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए ऐसे करार करने की शक्ति प्रदान करता है। खंड 7 भारत द्वारा हस्ताक्षरित सभी प्रत्यर्पण संधियों में प्रत्यर्पणयोग्य होने के लिए इस विधेयक के अधीन अपराध मानता है। खंड 8 से 12 विशिष्ट मामलों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग विनयक प्रक्रियाओं के बारे में है।

4.6 खंड 13 से 19 और 22 में विधेयक और अन्य विधानों जिसके अंतर्गत कोई परिणामी संशोधन जो विधेयक की अनुसूची में उपबंधित है, के बीच पारस्परिक संबंध का उपबंध है। इसके अतिरिक्त खंड 16 ऐसे विशेष न्यायाधीश जो इस 2015 विधेयक के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी है के विनिश्चयों से उच्च न्यायालय को अपील और पुनरीक्षण शक्तियों का उपबंध करता है। खंड 20 और 21, 2015 के अधीन प्रत्यायोजित विधान की व्याप्ति और प्रक्रिया के बारे में है।

4.7 इसके पश्चात् 2015 विधेयक का खंडवार विश्लेषण किया गया है। प्रस्तावित 2015 विधेयक के प्रत्येक उपबंध का परीक्षण यू.एन.सी.ए.सी. के सुसंगत उपबंधों से किया गया है और जहां कहीं आवश्यक है अन्य अधिकारिताओं के समरूप विधियों से तुलना की गई है।

## 5. विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन पदधारी रिश्त निवारण विधेयक, 2015 का खंडवार विश्लेषण

### क. उद्देशिका

#### विश्लेषण और टिप्पणी

5.1.1 2015 विधेयक की उद्देशिका काफी बड़ी है और संकल्प 58/4 तारीख 31 अक्टूबर, 2013 के पाठ को दोहराती है जिसे यू.एन. सामान्य सभा द्वारा अंगीकार किया गया था (जिसके साथ यू.एन.सी.ए.सी. संलग्न था)। यह पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। इसके बजाए संक्षेप में यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन भारत के मुख्य बाध्यताओं को रखना पर्याप्त होगा।

#### 5.1.2 प्रस्तावित प्रारूप

*विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन के पदधारी के रिश्त से*

संबंधित भ्र-टाचार निवारण और इससे संबद्ध या इसके आनु-ांगिक मामलों के लिए

विधेयक

भारत ने संयुक्त रा-ट्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन पर 9 दिसंबर, 2005 को हस्ताक्षर किए और इस पर 9 मई, 2011 को अनुसमर्थन किया ;

और यह कन्वेंशन समस्याओं की गंभीरता तथा भ्र-टाचार द्वारा समाज की स्थिरता और सुरक्षा को होने वाले जोखिम, लोकतंत्र की संस्थाओं और मूल्यों, नैतिक मूल्यों और न्याय को कम करने और संघार्य विकास तथा विधिसम्मत नियम को खतरे में डालने ; तथा भ्र-टाचार के ऐसे मामले जिसमें आस्तियों की काफी मात्रा अंतर्वलित है जो राज्यों के संसाधनों का सारवान भाग गठित करता है और जो उन राज्यों की राजनैतिक स्थिरता और संघार्य विकास को खतरे में डालता है, के बारे में चिंता व्यक्त करता है ;

और इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के उपबंधों में प्रत्येक राज्य पक्षकार से ऐसे विधायी और अन्य उपाय अपनाने की अपेक्षा है जो विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-टीय संगठनों के पदधारियों को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो ।

**ख. खंड 1**

**विश्ले-ण और समीक्षा**

**5.2.1 खंड 1(1) और 1(3) को यथावत प्रतिधारित किया जाए ।**

5.2.2 तथापि, खंड 1(2) के साथ जटिलता है । विशेषकर खंड 1(2)(ग) जो इस विधि की अधिकारिता “भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत वायुयान या पोत किंतु कालिकतः भारत में या इसके ऊपर, पर व्यक्तियों को” के विस्तार का प्रयत्न करता है, अपने लागू होने की स्थिति में काफी व्यापक है और यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 (संप्रभुता का संरक्षण) द्वारा परिकल्पित संप्रभुता के सिद्धांतों से संगत नहीं हो सकता । यू.एन.सी.ए.सी. का अनुच्छेद 4(1) यह अपेक्षा करता है कि यू.एन.सी.ए.सी. के राज्य पक्षकार संप्रभु समानता और राज्यों की राज्यक्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों और अन्य राज्यों के घरेलू क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप से संगत रीति में” कन्वेंशन के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन करेंगे । अनुच्छेद 4(2) आगे यह स्प-ट करता है कि यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन राज्य पक्षकार अधिकारिता का प्रयोग या कृत्यों का पालन नहीं कर सकते जो अनन्यतः “उसकी घरेलू विधि द्वारा दूसरे राज्य के प्राधिकारों के लिए आरक्षित हैं” । इन उपबंधों के आलोक में खंड 1(2) को ऐसी परिस्थितियां जिसमें

इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने का आचरण भारतीय विधि की अधिकारिता के भीतर आ सकेगा, स्प-ट करते हुए पुनः प्रारूपित किया जाए ।

5.2.3 इसके आगे, खंड 1(2)(घ)(ii) में दो पद हैं जो अस्प-ट और अपरिभाषित हैं अर्थात् “कारबार का स्थान” और “भारत में साधारण निवास” जो निर्वचन या लागू होने के दौरान जटिलता पैदा कर सकता है ।

#### 5.2.4 प्रस्तावित प्रारूप

### 1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह संपूर्ण भारत तक विस्तारित है और लागू होता है -

(क) जब अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला आचरण होता है :

(i) भारत में पूर्णतः या भागतः ; या

(ii) अपराध गठित करने के समय भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान या पोत पर पूर्णतः या भागतः ;

(ख) जब अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला आचरण पूर्णतः भारत के बाहर होता है और अपराध निम्नलिखित द्वारा किया जाता है :

(i) ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है ;

(ii) ऐसा व्यक्ति जो भारत का स्थायी निवासी है ; या

(iii) ऐसा व्यक्ति जो भारत की विधियों द्वारा या उसके अधीन निगमित कारपोरेट निकाय है ।

**स्प-टीकरण 1** खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “स्थायी निवासी” पद का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में है ।

**स्प-टीकरण 2.** जब अपराध गठित करने वाला आचरण पूर्णतः भारत के बाहर होता है तो इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आरंभ नहीं की जाएगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निहित करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के आरंभ के ऐसे किसी उपबंध में किसी प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा ।

## ग. खंड 2

### विश्लेषण और समीक्षा

5.3.1 खंड 2(1)(क) के अधीन “अभिकर्ता” की परिभाषा एक बार पुनः आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पुनः प्रारूपित विधेयक में प्रतीत होता है (खंड 4 की समीक्षा देखें) । तदनुसार इस परिभाषा को यहां से हटाया जाए और इसके बजाए समुचित स्थान पर रखा जाए ।

5.3.2 खंड 2(1)(ख) को यथावत प्रतिधारित किया जाए ।

5.3.3 खंड 2(1)(ग) “संविदाकारी राज्य” : यह परिभाषा अनवाश्यक है और इसे हटाया जाए । “संविदाकारी राज्य” पद का प्रयोग 2015 विधेयक के अनेकों खंडों में किया गया है । यदि इस पद को प्रतिधारित किया जाता है तो इसका यह आशय होगा कि इस विधि के अधीन कोई कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं की जा सकेगी जब तक प्रश्नगत राज्य के साथ पारस्परिक ठहराव नहीं किया जाता । इस प्रकार इस परिभाषा को प्रतिधारित करने से असम्यक् प्रक्रियागत विलंब होगा । इसके बजाए यह सिफारिश किया जाता है कि पद को सुसंगत खंडों में “संबद्ध राज्य” पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा ।

5.3.4 खंड 2(1)(घ) “विदेश” यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण लगती है । यह सरकार के आधार पर ही किसी प्रकार के राज्यक्षेत्र का प्रतिनिर्देश किए बिना केवल विदेश को परिभाषित करता है । कनेडियन विदेशी लोग पदधारी भ्र-टाचार अधिनियम, 1998 जैसे अन्य कानूनों से यह उपबंध करने के लिए प्रथमतः कि विदेश से “भारत से भिन्न कोई देश” अभिप्रेत है और इसके पश्चात् सरकार का उपखंड सम्मिलित करता है, मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए ।

5.3.5 खंड 2(1)(ङ) “विदेशी लोक पदधारी” यह यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 2(ख) के पद की परिभाषा का शब्दशः पुनरुत्पादन है । तथापि, “लोक अभिकरण” और “लोक उद्यम” पद अधिक अस्प-ट और अपरिभाषित हैं । कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 29 मार्च, 2012 को राज्यसभा

को प्रस्तुत 2013 विधेयक की 2011 पाठ पर अपनी 50वीं रिपोर्ट में ऐसी ही चिंता व्यक्त की थी। स्थायी समिति ने (अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.2.2क में) यह इंगित किया कि “लोक अभिकरण” और “लोक उद्यम” जैसे पद “महत्वपूर्ण परिभाषागत रूप भेद” के हैं। इन उपबंधों के परिभाषागत स्पष्टता का अभाव “निर्वचन और लागू होने में भ्रम” संभवतः पैदा कर सकता है और यह सिफारिश की कि इन पदों को आगे परिभाषित किया जाए। इस परिभाषा का पुनःप्रारूपित पाठ स्थायी समिति की इन चिंताओं को भी दूर करेगा।

5.3.6 इस परिभाषा में “लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन का पदधारी या अभिकर्ता” सम्मिलित करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस पद को अलग से खंड 2(1)(छ) में परिभाषित किया गया है।

5.3.7 खंड 2(1)(च) और 2(1)(छ) को यथावत प्रतिधारित किया जाए।

5.3.8 खंड 2(1)(ज) “लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन” : यह परिभाषा आस्ट्रेलियन डंड प्रक्रिया संशोधन (विदेशी लोक पदधारियों का रिश्वत) अधिनियम, 1999 का पुनरुत्पादन है। तथापि, यू. के. रिश्वत अधिनियम, 2010 के आधार पर संक्षिप्त और अधिक केंद्रित परिभाषा का उपयोग किया जा सकता है।

5.3.9 खंड 2(1)(ज) “असम्यक् लाभ” : यह परिभाषा स्वमेवय पर्याप्त है। तथापि खंड 2(1)(ज)(i) और (ii) परिभाषा में स्वयं अपराध को सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है जो अंकित है। अतः खंड 2(1)(ज)(i) और (ii) को हटाया जाए। इसके बजाए भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन इसे समनुदेशित अर्थ से संगत “विधिक पारिश्रमिक” की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाए।

5.3.10 प्रस्तावित प्रारूप :

खंड 2(1)(क) हटाया जाए।

खंड 2(1)(ग) हटाया जाए।

खंड 2(1)(घ) : “विदेश” से भारत से भिन्न देश अभिप्रेत है और निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) उस देश का कोई राजनीतिक उपखंड ;

(ii) उस देश की या उस देश के राजनीतिक उपखंड की सरकार और कोई विभाग या सरकार की शाखा ; और

(iii) उस देश का या उस देश के राजनीतिक उपखंड का कोई अभिकरण ;

खंड 2(1)(ड) : “विदेशी लोक पदधारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(i) ऐसा व्यक्ति जो विदेश का विधायी, कार्यपालिक, प्रशासनिक या न्यायिक पद धारण करता है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति जो विदेश का लोक कर्तव्य या लोक कृत्य का पालन करता है जिसके अंतर्गत किसी बोर्ड, आयोग, निगम या अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा नियोजित व्यक्ति जो विदेश की ओर से ऐसे कर्तव्य या कृत्य का पालन करने के लिए स्थापित है या ऐसा कर्तव्य या कृत्य का पालन कर रहा है ;

**स्प-टीकरण -** इस परिभा-ना के प्रयोजन के लिए :

(क) “लोक कर्तव्य” से ऐसा कर्तव्य अभिप्रेत है जिसके निर्वहन में राज्य, लोक या व्यापक समुदाय का हित है ; और

(ख) “लोक कृत्य” से विदेशी लोक पदधारी का इस प्रकार उसकी हैसियत में कार्य या कर्तव्य अभिप्रेत है ;

खंड 2(1)(ज) : “लोक अंतररा-ट्रीय संगठन” से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसके सदस्य निम्नलिखित में से कोई हैं :

(i) देश या राज्यक्षेत्र ;

(ii) देश या राज्यक्षेत्र की सरकारें ;

(iii) अन्य लोक अंतररा-ट्रीय संगठन ; या

(iv) उपरोक्त में से किसी का मिश्रण ।

खंड 2(1)(ज) : “असम्यक् लाभ” से कोई प्ररितो-ण फायदा या लाभ संपत्ति या ऐसी संपत्ति में हित, इनाम, फीस, मूल्यवान प्रतिभूति या दान या कोई अन्य मूल्यवान चीज (विधिक पारिश्रमिक से भिन्न), चाहे धनीय या गैर-धनीय, मूर्त या



अमूर्त अभिप्रेत है ।

**स्प-टीकरण :** इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए “विधिक पारिश्रमिक” विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है बल्कि यह ऐसे सभी पारिश्रमिक को सम्मिलित करता है जो विदेश या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन द्वारा जिसका वह पालन करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है ।

### घ. खंड 3

#### विश्लेषण और समीक्षा :

5.4.1 यह खंड यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 (2) के अधीन यथा उपबंधित निष्क्रिय रिश्वतखोरी के अपराध के संबंध में है । यह इस रिपोर्ट के अध्याय 2 और 3 की चर्चा को पुनः याद करना सुसंगत है जहां यह इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 16(2) केवल विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों द्वारा रिश्वत की याचना या स्वीकृति को अपराधीकृत बनाने पर विचार करने के लिए यू.एन.सी.ए.सी. के राज्य पक्षकारों से अपेक्षा करता है । इस बावत अनुच्छेद 16(2) आज्ञापक अपेक्षा नहीं बल्कि निदेशात्मक उपबंध है । हमारे द्वारा सर्वेक्षण किए गए देशों में से मलेशिया और स्विटजरलैंड के अलावा किसी अन्य देश में अनुच्छेद 16(2) विनयक विधि पारित नहीं की है ।

5.4.2 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 में अधिकथित संप्रभुता के सिद्धांतों पर भी विचार करना सुसंगत है जिसके अधीन घरेलू विधि ऐसे देश के राज्यक्षेत्र के बाहर लागू नहीं की जा सकती जहां इसे अधिनियमित किया गया है । इस मामले में आयोग द्वारा उपरोक्त सिफारिश किए गए पुनःप्रारूपित खंड 1(2) के आलोक में निष्क्रिय रिश्वतखोरी का अभियुक्त विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को केवल खंड 3 के अधीन भारत में अभियोजित किया जाएगा यदि अपराध भारत में पूर्णतः या भागतः किया गया है । यह आगे संबद्ध विदेश या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन द्वारा कूटनीतिक उन्मुक्ति के अधित्यजन के अधीन होगा । यहां तक कि मलेशिया और स्विटजरलैंड की सुसंगत विधियों में विदेशी लोक पदधारियों या लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों को अभियोजित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है जब अपराध इस देश के बाहर हुई हो ।

5.4.3 तदनुसार खंड 3 को बनाए रखने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाएगा । अनुकल्पतः उपरोक्त सुझाव के अनुसार खंड 1(2) के प्रस्तावित पुनःप्रारूपण

के आलोक में, खंड 3 केवल ऐसे निष्क्रिय रिश्वतखोरी के कार्य को लागू होगा जो पूर्णतः या भागतः भारत में या अपराध होने के समय भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान या पोत पर हुए हैं ।

5.4.5 इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रारूपण के अनुसार खंड 3 असम्यक् लाभ प्राप्त करने के “प्रयत्न” के अपराध को कारावास की उसी अवधि से दंडनीय बनाता है जैसा स्वयं अपराध के लिए है । तथापि, “प्रयत्न” का अपराध अब 2015 विधेयक के पुनःप्रारूपित पाठ में (खंड 5 की समीक्षा देखें) कारावास की कम अवधि के साथ पृथक् उपबंध में समाहित किया गया है । अतः “या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है” शब्द को यहां से हटाया जाए ।

5.4.6 प्रस्तावित प्रारूप :

**3. विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पदधारी द्वारा परितो-गण स्वीकार करने का प्रति-बंध ।**

जो कोई, विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन का पदधारी होते हुए साशय किसी व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई असम्यक् लाभ अपने पदीय कर्तव्यों, पक्ष लेने या किसी व्यक्ति या सत्ता का पक्ष न लेने के प्रयोग में या किसी व्यक्ति या सत्ता को कोई सेवा देने या सेवा न देने के लिए प्रयत्न करने के लिए कोई पदीय कार्य करने या विरत रहने के लिए स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या किसी व्यक्ति से स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्-न से कम का नहीं होगा किंतु जो सात वर्-न तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

## **खंड 4**

### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.5.1 खंड 4(1) को यथावत प्रतिधारित किया जाए । तथापि, उपबंध के बने रहने से कई चिंताएं हैं ।

5.5.2 सर्वप्रथम खंड 4(1) का परंतुक खंड 4(1) के अधीन अपराध के प्रतिरक्षा/अपवाद उल्लिखित करना चाहता है । अतः यह परंतुक के रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि अपने निजी अधिकार में अधि-ठायी उपबंध होना चाहिए ।

5.5.3 परंतुक को यह इंगित करने के लिए प्रारूपित किया गया है कि यह

प्रतिरक्षा/अपवाद केवल वाणिज्यिक संगठन को उपलब्ध है न कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को । यह वांछित स्थिति नहीं है और वस्तुतः यह प्रतिरक्षा/अपवाद प्रत्येक “व्यक्ति” को लागू होनी चाहिए जिस पद के अंतर्गत वाणिज्यिक संगठन भी सम्मिलित है ।

5.5.4 इसके अतिरिक्त खंड 4(1) से सहबद्ध परंतुक यह भी इंगित करता है कि प्रतिरक्षा/अपवाद खंड 4 के अधीन अपराध को ही लागू है जबकि इसे किसी ऐसे अपराध के दु-प्रेरण या प्रयत्न सहित इस विधि के अधीन सभी अपराधों के लिए सामान्य प्रतिरक्षा/अपवाद के रूप में होना चाहिए ।

5.5.5 खंड 4(1) के परंतुक में प्रयुक्त “पर्याप्त प्रक्रिया” और खंड 4(2) में प्रयुक्त “मार्ग-दर्शक सिद्धांत” जैसे पदों को भ्र-टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (“2013 विधेयक”) पर आयोग द्वारा अपनी 254वीं रिपोर्ट<sup>43</sup> में की गई सिफारिश के स्कीम से उधार लिया गया प्रतीत होता है । 2013 विधेयक के खंड 8 के परंतुक के अनुसार जहां लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय है । 2013 विधेयक का खंड 9 आगे यह उपबंध करता है कि वाणिज्यिक संगठन ही दो-नी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति लोक सेवक को असम्यक् लाभ का प्रस्ताव करता है वादा करता है या देता है । तथापि, जब ऐसा सहयोजित व्यक्ति दो-नी है तो वाणिज्यिक संगठन दायी नहीं हो सकेगा । यदि वह साबित कर सकता हो कि वह उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं बनाई थीं । 2013 विधेयक के खंड 10 में आगे यह उपबंध है कि जहां कोई अपराध वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया साबित होता है वहां ऐसा अधिकारी अपराध का दो-नी होगा और कारावास तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा । 2013 विधेयक का खंड 9(5) इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार से ऐसी पर्याप्त प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करने की अपेक्षा करता है जो ऐसी रिश्वतखोरी को निवारित करने के संबंध में वाणिज्यिक संगठनों द्वारा अपनाई जा सकती है ।

5.5.6 2013 विधेयक के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम से मात्र कुछ चयनित उपबंधों का अंतरण 2015 विधेक में इस मामले में व्यवहार्य नहीं होगा जब तक 2013 विधेयक की पूरी स्कीम को वर्तमान 2015 विधेयक में पूरी तरह से सम्मिलित

---

<sup>43</sup> 254वीं रिपोर्ट, पृ-ठ 35.

नहीं किया जाता । वस्तुतः 2015 विधेयक के खंड 4 के विद्यमान प्रारूप का यह अर्थ होगा कि वाणिज्यिक संगठन मात्र यह साबित कर कि पर्याप्त प्रक्रियाएं विहित की गई थीं, दायित्व से मुक्त होगा । यह यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 16 की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं होगा ।

5.5.7 अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि भ्र-टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 के संबंध में अपनी 254वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई पूरी स्कीम को 2015 विधेयक में भी सम्मिलित किया जाए । यह पुनः प्रारूपित विधेयक के नये खंड 8 के रूप में उपबंधित है ।

5.5.8 “असम्यक् लाभ” पद को स्प-ट करने के लिए खंड 4(1) के परंतुक (ख) में स्प-टीकरण अस्प-ट है और ठीक तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । इसके बजाए यह सिफारिश की जाती है कि स्प-टीकरण को प्रतिरक्षा/अपवाद के रूप में पुनः प्रारूपित किया जाए ।

5.5.9 इस विधि के अधीन प्रतिरक्षा/अपवाद की व्यापक सूची को “नैमित्तिक सरकारी कृत्य” के लिए एक उपबंध आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए जो परमित या अनुज्ञप्ति जारी करने, शासकीय दस्तावेजों को प्रक्रियागत करने और इसी प्रकार की सेवाओं के प्रयोजन के लिए विदेशी लोक पदधारियों या लोग अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों के नैमित्तिक कर्तव्यों या कृत्यों के अनुक्रम में किए गए संदायों को हिसाब में लेगा । यह प्रतिरक्षा/अपवाद उपलब्ध है और अधिकांश अन्य अधिकारिताओं में अभिस्वीकृत है तथा इसके पाठ को यहां शामिल किया जाए ।

5.5.10 तदनुसार, विधि में सूचीबद्ध किसी अपराध के विरुद्ध उपलब्ध प्रतिरक्षा/अपवाद पर पृथक उपबंध किया जाए । इस पृथक उपबंध को सभी अपराधों को सूचीबद्ध करने के पश्चात् रखा जाए । खंड 5 से संबंधित आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिरक्षा का यह नया उपबंध पुनःप्रारूपित विधेयक के खंड 7 के रूप में माना जाए ।

5.5.11 प्रस्तावित प्रारूप :

4. विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारी को परितो-नण देने का प्रति-नेध : जो कोई अंतररा-द्रीय कारबार के संचाल के संबंध में कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने या उससे संबंधित कोई लाभ अभिप्राप्त करने के लिए साशय स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए इसलिए कि ऐसा पदधारी अपने पदीय कर्तव्य का प्रयोग करे या करने से

विरत रहे । किसी विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को कोई असम्यक् लाभ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रस्तावित करता है या प्रस्ताव करने का वादा करता है, देता है या देने का वादा करता है, वह ऐसी अवधि की कारावास से जो तीन वर्न से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्न तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

7. कतिपय परिस्थितियों में अपराध का दो-नी न पाए जाने वाले व्यक्ति ।

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति अपराध का दो-नी नहीं है यदि किसी लाभ का प्रस्ताव करता है, वादा करता है या देता है, जो विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को किया गया था, ऐसे विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी द्वारा या उसकी ओर से उपगत यात्रा और निवास व्यय जैसे युक्तियुक्त और सद्भाविक व्यय था और प्रत्यक्षतः निम्नलिखित से संबंधित था :

(क) उत्पाद या सेवाओं के संवर्धन प्रदर्शन या स्प-टीकरण ; या

(ख) विदेश या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के साथ संविदा के नि-पादन या पालन ।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दो-नी नहीं है यदि विदेश या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन जिसके लिए विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन का पदधारी कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करता है, की विधियों के अधीन किसी लाभ का प्रस्ताव, वादा या दिया जाना अनुज्ञात है ।

(3) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दो-नी नहीं है यदि विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठ के पदधारी द्वारा ऐसे नैमित्तिक प्रकृति के किसी कार्य के जो विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी के कर्तव्यों या कृत्यों का भाग है द्वारा पालन में शीघ्रता करने या सुनिश्चित करने के लिए किसी लाभ का प्रस्ताव, वादा या कोई लाभ दिया जाता है, जैसे :

(क) किसी व्यक्ति को कोई कारबार करने के लिए अर्ह बनाने हेतु परमिट, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज का जारी किया जाना ;

(ख) वीजा या संकर्म परमिट जैसे शासकीय दस्तावेजों की कार्यवाही आरंभ करना ;

(ग) डाक उठाने और परिदान, दूर संचार सेवाएं और बिजली तथा जल प्रदाय जैसी आम जनता को सामान्यतः प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपबंध ; और

(घ) पुलिस संरक्षण, कार्गो की चढ़ाई और उतराई, क्षय योग्य उत्पादों या वस्तुओं का न-ट होने से संरक्षण या संविदा पालन या मालों के पारे-ण से संबंधित निरीक्षणों के नियतन जैसी यथापेक्षित सामान्यतः उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था ।

**स्प-टीकरण :** शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्प-ट किया जाता है कि इस बारे में विनिश्चय की क्या नया कारबार अधिनर्णीत किया जाए या किसी विशि-ट व्यक्ति के साथ विद्यमान कारबार जारी रखा जाए ; या ऐसे नए या विद्यमान कारबार के निबंधन, को उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए नैमित्तिक प्रकृति का कोई कार्य नहीं समझा जाएगा ।

#### **8 इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए वाणिज्यिक संगठनों का दायित्व :**

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है और ऐसा अपराध वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया साबित होता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी अपराध का दो-नी होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने का दायी होगा और ऐसे कारावास जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए विहित उपबंध से कम नहीं होगा से दंडनीय होगा ।

(3) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वाणिज्यिक संगठन अपराध का दो-नी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु, वाणिज्यिक संगठन के यह साबित करने का प्रतिरक्षा होगा कि उसने अपने साथ सहबद्ध व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं विहित की थीं ।

(4) केंद्रीय सरकार वाणिज्यिक संगठनों द्वारा इस धारा के अनुपालन को

बढ़ाने की दृष्टि से पर्याप्त प्रक्रियाएं जो आवश्यक हों के बारे में परामर्श प्रक्रिया का पालन कर जिसमें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सभी हितबद्ध पणधारियों के विचार अभिप्राप्त किए जाएं के पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए :

(क) “वाणिज्यिक संगठन” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(i) ऐसा निकाय जो भारत में निगमित है और जो भारत में या भारत के बाहर कारबार करता है :

(ii) कोई अन्य निकाय जो भारत के बाहर निगमित है और जो भारत के किसी भाग में कारबार या कारबार का कोई भाग करता है ;

(iii) भारत में गठित भागीदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम और जो भारत में या भारत के बाहर कारबार करता है ; या

(iv) कोई अन्य भागीदारी या व्यक्तियों का संगम जो भारत के बाहर व्यथित है और जो भारत के किसी भाग में कारबार या कारबार का भाग करता है ;

(ख) “कारबार” में व्यापार या वृत्ति या पूर्त सेवा सहित सेवा उपलब्ध कराना सम्मिलित है ;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कहा जाता है यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी आचरण पर ध्यान दिए बिना ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है ।

**स्प-टीकरण 1.** ऐसी क्षमता जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है इसको ध्यान दिए बिना कि ऐसा व्यक्ति ऐसे वाणिज्यिक संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुसंगी है, महत्वपूर्ण नहीं होगा ।

**स्प-टीकरण 2.** इस धारा के प्रयोजन के लिए, “अभिकर्ता” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (1872 का 9) की धारा 182 के अधीन इसका है ।

**स्प-टीकरण 3.** चाहे व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है, का अवधारण सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रतिनिर्देश द्वारा न की मात्र ऐसे व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच संबंध की प्रकृति के प्रतिनिर्देश द्वारा किया जाए ।

**स्प-टीकरण 4.** यदि व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है प्रतिकूल साबित न होने तक यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है ।

## च. खंड 5

### विश्ले-ण और समीक्षा

5.6.1 इस उपबंध की भा-ना भ्रामक है क्योंकि यह “दु-प्रेरण” और “प्रयत्न” अपराधों को संयोजित करता है । चूंकि इन अपराधों के तत्व भिन्न-भिन्न हैं, अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस उपबंध को दो पृथक उपबंधों में बांटा जाए और प्रत्येक अपराध को पृथक से रूपायित किया जाए । इसके अतिरिक्त प्रयत्न के अपराध के लिए शास्ति को स्वयं अपराध की शास्ति कम नहीं रखा जाए ।

### 5.6.2 प्रस्तावित प्रारूप

#### 5. दु-प्रेरण

जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध के किए जाने का दु-प्रेरण करता है ऐसी अवधि जो तीन वर्-न से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्-न तक की हो सकेगी के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

#### 6. प्रयत्न

जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध करने का प्रयत्न करता है, ऐसी अवधि की कारावास से जो एक वर्-न से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्-न तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।



## छ. खंड 6

### विश्लेषण और समीक्षा

5.7.1 इस उपबंध को यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 45 और 46 (इस रिपोर्ट के अध्याय 2 की चर्चा को देखें) के लागू होने के बारे में भारत की घोषणा के संदर्भ में अंतःस्थापित किया गया है। यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसमर्थन के समय भारत ने अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित किया था कि “कन्वेंशन के अनुच्छेद 45 और 46 के अधीन पारस्परिक विधिक सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लागू द्विपक्षीय करारों के माध्यम से किया जाएगा”, और ऐसे मामलों में जहां अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा मांगी गई पारस्परिक विधिक सहायता समाहित नहीं होती है वहां “पारस्परिक आधार पर” कन्वेंशन के अधीन इसका उपबंध किया जाएगा। खंड 6(1) इस स्थिति के बारे में है। तथापि, खंड 6(2) अपेक्षित नहीं है और इसे हटाया जाए। उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनःसंख्यांकित भी किया जाएगा।

### 5.7.2 प्रस्तावित प्रारूप

#### 9. विदेश के साथ करार

केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए भारत के बाहर किसी देश की सरकार से करार कर सकेगी -

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त कराने ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्समानी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए जानकारी या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित मामलों के अन्वेषण के आदान-प्रदान के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो करार के क्रियान्वयन के लिए (पारस्परिक सहायता सहित) आवश्यक हो।

## ज. खंड 7

### विश्लेषण और समीक्षा

5.8.1 यह उपबंध ऐसे सभी प्रत्यर्पण संधियों को एकतरफा संशोधित करने का प्रयत्न करता है जिस पर भारत में प्रत्यर्पणयोग्य अपराधों के रूप में इस विधि के अधीन अपराध समझे जाने के रूप में अन्य देशों से किया है। यह संधियों पर विधि के वियना

कन्वेंशन के उस अनुच्छेद 39 के अतिक्रमण में है जो यह उपबंध करता है कि संधि का संशोधन संधि के पक्षकारों के बीच करार द्वारा ही किया जाए (न कि घरेलू विधान द्वारा) ।

5.8.2 इसके अतिरिक्त (“प्रत्यर्पण”) यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 14 के पैरा 4, 5 और 7 पहले ही यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन सभी अपराधों को ऐसे अपराध मानता है जो प्रत्यर्पणयोग्य हैं । भारतीय विधि यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन अपराधों को घरेलू विधि के अधीन दंडनीय अपराध बनाती है और इसके संदर्भ में यह उपबंध निरर्थक है और अपेक्षित नहीं है ।

### 5.8.3 प्रस्तावित प्रारूप

इस उपबंध को हटाया जाए

## झ. खंड 8

### विश्लेषण और समीक्षा

5.9.1 आयोग ने यह सिफारिश की है कि “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2(1)(ग) से हटाया जाए (खंड 2 देखें) । अतः इस उपबंध के प्रयोजन के लिए “संविदा करने वाले राज्य” पद के स्थान पर “संबद्ध राज्य” रखा जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### 5.9.2 प्रस्तावित प्रारूप

## 10. कतिपय मामलों में संबद्ध राज्य को अनुरोधपत्र ।

(1) इस अधिनियम में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या अन्य कार्यवाहियों के अनुक्रम में अन्वेषक अधिकारी या अन्वेषक अधिकारी की पंक्ति से वरि-ठ किसी अधिकारी द्वारा विशेष न्यायाधीश को आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या कार्यवाहियों के संबंध में किसी साक्ष्य की अपेक्षा है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संबद्ध राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार समाधान होने पर कि ऐसे साक्ष्य की इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों या अपराध के अन्वेषण के संबंध में अपेक्षा है तो ऐसे अनुरोध के बारे में संबद्ध संबद्ध राज्य के सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय को अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा -

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करने ;

(ii) ऐसे उपाय करने जो विशेष न्यायाधीश ऐसे अनुरोधपत्र में विनिर्दिष्ट करे, और

(iii) ऐसा अनुरोधपत्र जारी कर विशेष न्यायाधीश को इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्य को अग्रणीत करने ।

(2) अनुरोधपत्र ऐसी रीति में पारित किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार इस बावत विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या वस्तु को अन्वेषण के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य समझा जाएगा ।

## ज. खंड 9

### विश्लेषण और समीक्षा

5.10.1 आयोग ने यह सिफारिश की है कि “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2(1)(ग) से हटाया जाए (खंड 2 देखें) । अतः इस उपबंध के प्रयोजन के लिए “संविदा करने वाले राज्य” पद के स्थान पर “संबद्ध राज्य” रखा जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### 5.10.2 प्रस्तावित प्रारूप

## 11. कतिपय मामलों में संबद्ध राज्य को सहायता ।

जहां केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या कार्यवाहियों के लिए अनुरोध करने वाले संबद्ध राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी से उसके संबंध में कोई साक्ष्य ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को अग्रसारित करने के लिए अनुरोधपत्र प्राप्त होता है । वहां केंद्रीय सरकार अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश या किसी प्राधिकारी को जैसा वह ठीक समझे इस अधिनियम या यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे अनुरोध के नि-पादन के लिए ऐसा अनुरोधपत्र अग्रसारित कर सकेगी ।

## ट. खंड 10

### विश्लेषण और समीक्षा

5.11.1 आयोग ने यह सिफारिश की है कि “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2(1)(ग) से हटाया जाए (खंड 2 देखें)। अतः इस उपबंध के प्रयोजन के लिए “संविदा करने वाले राज्य” पद के स्थान पर “संबद्ध राज्य” रखा जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा। इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा।

### 5.11.2 प्रस्तावित प्रारूप

## 12. अभियुक्त व्यक्तियों के अंतरण के लिए प्रक्रियाओं और सहायता के लिए पारस्परिक ठहराव।

(1) जहां विशेष न्यायाधीश धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में उसके द्वारा जारी निम्नलिखित की वांछा करता है :

(क) अभियुक्त व्यक्ति का समन करता है ; या

(ख) अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उसे उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन करता है या उसे पेश करने के लिए समन करता है ; या

(घ) तलाशी वारंट जारी करता है,

वहां यह किसी संबद्ध राज्य के किसी स्थान पर तामील या नि-पादित किया जाएगा, वह ऐसे प्रारूप में ऐसे समन या वारंट को द्वितीयक प्रति में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारियों के माध्यम से भेजेगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दिष्ट करे और यथास्थिति न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इसे नि-पादित करवाएगा।

(2) जहां विशेष न्यायाधीश को धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में संबद्ध राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा -

(क) अभियुक्त व्यक्ति का समन करता है ; या

(ख) अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उसे उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन करता है या उसे पेश करने के लिए समन करता है ; या

(घ) तलाशी वारंट जारी करता है,

की तामीली या नि-पादन के लिए प्राप्त होता है वहां वह इसकी तामीली या नि-पादन करवाएगा मानो ये उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर तामीली या नि-पादन के लिए उक्त राज्यक्षेत्रों के अन्य न्यायालय से उसके द्वारा प्राप्त समन या वारंट हैं ; और जहां -

(i) गिरफ्तारी का वारंट नि-पादित हो गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विनिर्दि-ट प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा ;

(ii) तलाशी वारंट नि-पादित की गई है, इस तलाशी में वस्तुएं पाई गई हैं जहां तक संभव हो, विचार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विनिर्दि-ट प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा :

परंतु ऐसे मामले में संबद्ध राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट नि-पादित किया गया है, दस्तावेज या अन्य वस्तुएं पेश की गई हैं या तलाशी में वस्तुएं पाई गई हैं को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को अग्रेसित किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दि-ट करे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अनुसरण में संबद्ध राज्य को अंतरित व्यक्ति भारत में कैदी है वहां विशेष- न्यायाधीश या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में भारत को अंतरित व्यक्ति संबद्ध राज्य में कैदी है वहां भारत का विशेष- न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी शर्तें जिसके अधीन कैदी को भारत को अंतरित किया गया है, का पालन किया गया है और ऐसा कैदी ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा जो केंद्रीय सरकार लिखित में निदेश करे ।

## ठ. खंड 11

### विश्लेषण और समीक्षा

5.12.1 आयोग ने यह सिफारिश की है कि “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2(1)(ग) से हटाया जाए (खंड 2 देखें)। अतः इस उपबंध के प्रयोजन के लिए “संविदा करने वाले राज्य” पद के स्थान पर “संबद्ध राज्य” रखा जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा। इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा।

### 5.12.2 प्रस्तावित प्रारूप

#### 13. अनुरोधपत्र की बावत प्रक्रिया।

इस अध्याय के अधीन संबद्ध राज्य को पारेंनित किए जाने के लिए प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार को प्राप्त प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट संबद्ध राज्य को पारेंनित किया जाएगा या यथास्थिति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में भारत के संबद्ध न्यायालय को भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दिष्ट करे।

## ड. खंड 12

### विश्लेषण और समीक्षा

5.13.1 आयोग ने यह सिफारिश की है कि “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2(1)(ग) से हटाया जाए (खंड 2 देखें)। अतः इस उपबंध के प्रयोजन के लिए “संविदा करने वाले राज्य” पद के स्थान पर “संबद्ध राज्य” रखा जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा। इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा।

### 5.13.2 प्रस्तावित प्रारूप

#### 13. संबद्ध राज्य या भारत में संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और अधिहरण, आदि।

(1) जहां संपत्ति का केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पर संबद्ध राज्य में होने का संदेह होता है वहां विशेष न्यायाधीश संबद्ध राज्य में संपत्ति की कुर्की या अधिहरण के नि-पादन के लिए संबद्ध राज्य के न्यायालय या

प्राधिकारी को अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा संबद्ध राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी से धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध के करने से या उस संबद्ध राज्य में किए गए अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति द्वारा व्युत्पन्न या अभिप्राप्त भारत में संपत्ति की कुर्की या अधिहरण का अनुरोध करते हुए अनुरोधपत्र प्राप्त होता है वहां केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि-पादन के लिए विशेष-न्यायाधीश को ऐसा अनुरोधपत्र अग्रसारित कर सकेगी ।

(3) विशेष-न्यायाधीश उपधारा (2) के अधीन अनुरोधपत्र की प्राप्ति पर किसी प्राधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठान का निदेश देगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट उपायों में किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्थान की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत मामलों की बावत कोई जांच, अन्वे-ण या सर्वेक्षण सम्मिलित हो सकेगा ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वे-ण या सर्वेक्षण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी ऐसे निदेशों के अनुसार उपधारा (3) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

### **ढ. खंड 13**

#### **विश्ले-ण और समीक्षा**

5.14 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### **ण. खंड 14**

#### **विश्ले-ण और समीक्षा**

5.15 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### **त. खंड 15**

#### **विश्ले-ण और समीक्षा**

5.16 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

#### **थ. खंड 16**

##### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.17 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

#### **द. खंड 17**

##### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.18.1 इस उपबंध का बाद वाला भाग जो यह उल्लेख करता है कि “इसमें की कोई बात किसी विदेशी पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी को ऐसी किसी कार्यवाही से जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध धारित की जा सकेगी”, अनावश्यक है और इसे हटाया जाए । उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

##### **5.18.2 प्रस्तावित प्रारूप**

#### **19. किसी अन्य विधि के अतिरिक्त किया जाने वाला कार्य ।**

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा न कि उसके अल्पीकरण में ।

#### **घ. खंड 18**

##### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.19.1 यह उपबंध तभी लागू होगा यदि अपराध गठित करने वाला आचरण भारत में पूर्णतः या भागतः होता है और इस बावत उसकी उपस्थिति 2015 विधेयक के खंड 3 की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित है । यदि खंड 3 को हटाया जाता है (खंड 3 देखें) तो इस उपबंध को भी हटाया जाए । “संविदा करने वाले राज्य” पद की परिभाषा को खंड 2 (1)(ग) (खंड 2 देखें) से हटाए जाने की आयोग की सिफारिश के आलोक में “संबद्ध राज्य” से प्रतिस्थापित किया जाए जिसका निर्वचन परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित समुचित रूप से किया जाएगा । उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित



भी किया जाएगा ।

#### 5.19.2 प्रस्तावित प्रारूप

यदि प्रतिधारित किया जाए तो प्रस्तावित प्रारूप इस प्रकार होगा :

**20. इस अधिनियम के अधीन विदेशी पदधारी के विरुद्ध जिसको किसी विधि या कन्वेंशन के अधीन विशेष-नाधिकार और उन्मुक्तियां हैं या संधि लागू होती है के विरुद्ध संबद्ध राज्य के परामर्श से कार्यवाही किया जाना ।**

यदि किसी विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध का किया जाना अभिकथित है जिसको संयुक्त रा-ट्र (विशेष-नाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 या अंतररा-द्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेष-नाधिकार) अधिनियम, 1958 या अंतररा-द्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेष-नाधिकार) अधिनियम, 1960 या कूटनीतिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या किसी कन्वेंशन या संधि के अधीन कतिपय विशेष-नाधिकार और उन्मुक्तियां लागू होती हैं, तो केंद्रीय सरकार यथास्थिति संबद्ध राज्य या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के परामर्श से ऐसे लोक पदधारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी ।

#### **न. खंड 19**

##### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.20 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

#### **प. खंड 20**

##### **विश्लेषण और समीक्षा**

5.21.1 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए इसके सिवाय कि खंड 4(2) के निर्देश को (नये) खंड 8(4) के प्रतिनिर्देश से संशोधित किया जाएगा । उपबंध को भी पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।

#### 5.21.2 प्रस्तावित प्रारूप

## 22. नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही मामलों के लिए उपबंध हो सकेगा अर्थात् :

(क) धारा 8 के उपधारा (4) के अधीन वाणिज्यिक संगठनों द्वारा धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शिक सिद्धांत विकसित करना ;

(ख) कोई अन्य वि-य जिसकी बावत उपबंध नियमों द्वारा किया गया है या किया जा सकेगा, विहित किया जाए या विहित किया जा सकेगा ।

### फ. खंड 21

#### विश्ले-ण और समीक्षा

5.22 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### ब. खंड 22

#### विश्ले-ण और समीक्षा

5.23 इस उपबंध को यथावत प्रतिधारित किया जाए । इस उपबंध को पुनरीक्षित प्रारूप के अनुसार पुनर्संख्यांकित भी किया जाएगा ।

### भ. अनुसूची

#### विश्ले-ण और समीक्षा

5.24.1 कतिपय अधिनियमितियों के संशोधन से संबंधित सुसंगत उपबंध के प्रतिनिर्देश को पुनर्संख्यांकित रूप में सही उपबंध का प्रतिनिर्देश करते हुए सुधारा जाए और आयोग के सिफारिश किए गए प्रारूप में उपबंध किया जाए ।

5.24.2 धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की अनुसूची के

संशोधन से संबंधित अनुसूची के भाग 2 को आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दु-प्रेरण और प्रयत्न के अपराध को पृथक् करते हुए अपराधों की पुनरीक्षित स्कीम के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा ।

### 5.24.3 प्रस्तावित प्रारूप

अनुसूची

(धारा 24 देखें)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(1988 का 49)

#### धारा 3 का संशोधन

धारा 3 के उपधारा (1) के खंड (क) में “इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध” शब्दों के स्थान पर इस अधिनियम या विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वतखोरी निवारण अधिनियम, 2015 के अधीन दंडनीय किसी अपराध” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

भाग 2

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002

(2003 का 15)

#### अनुसूची का संशोधन

अनुसूची की भाग क में पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“पैरा 8क”

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वतखोरी निवारण अधिनियम, 2015

|      |   |
|------|---|
| धारा | अपराधों का विवरण  |
| 3    | विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी द्वारा परितो-ण स्वीकार करने का प्रति-नेध |
| 4    | विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी द्वारा परितो-ण स्वीकार करने का प्रति-नेध |
| 5    | दु-प्रेरण   |
| 6    | प्रयत्न   |

ह0/-  
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)  
अध्यक्ष

ह0/-  
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)  
सदस्य

ह0/-  
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)  
सदस्य

ह0/-  
(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)  
सदस्य

ह0/-  
(डा. (श्रीमती) पवन शर्मा)  
सदस्य-सचिव

ह0/-  
(पी. के. मल्होत्रा)  
पदेन-सदस्य

ह0/-  
(डा. संजय सिंह)  
पदेन सदस्य

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण  
विधेयक, 2015 का पुनरीक्षित प्रारूप

2015 विधेयक की चर्चा और प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आयोग निम्नलिखित विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2015 के पुनरीक्षित प्रारूप का सुझाव देता है ।

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण  
विधेयक, 2015

*विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी के रिश्वत से संबंधित भ्र-टाचार निवारण और इससे संबद्ध या इसके आनु-ंगिक मामलों के लिए*

विधेयक

भारत ने संयुक्त रा-ट्र भ्र-टाचार विरोधी कन्वेंशन पर 9 दिसंबर, 2005 को हस्ताक्षर किए और इस पर 9 मई, 2011 को अनुसमर्थन किया ;

और यह कन्वेंशन समस्याओं की गंभीरता तथा भ्र-टाचार द्वारा समाज की स्थिरता और सुरक्षा को होने वाले जोखिम, लोकतंत्र की संस्थाओं और मूल्यों, नैतिक मूल्यों और न्याय को कम करने और संघार्य विकास तथा विधिसम्मत नियम को खतरे में डालने ; तथा भ्र-टाचार के ऐसे मामले जिसमें आस्तियों की काफी मात्रा अंतर्वलित है जो राज्यों के संसाधनों का सारवान भाग गठित करता है और जो उन राज्यों की राजनैतिक स्थिरता और संघार्य विकास को खतरे में डालता है, के बारे में चिंता व्यक्त करता है ;

और इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के उपबंधों में प्रत्येक राज्य पक्षकार से ऐसे विधायी और अन्य उपाय अपनाने की अपेक्षा है जो विदेशी लोक पदधारियों और लोक अंतररा-द्रीय संगठनों के पदधारियों को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो ।

*भारत गणराज्य के 66वें वर्- में संसद् द्वारा इस प्रकार अधिनियमित हो :-*

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वत निवारण अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह संपूर्ण भारत तक विस्तारित है और लागू होता है -

(क) जब अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला आचरण होता है :

(i) भारत में पूर्णतः या भागतः ; या

(ii) अपराध गठित करने के समय भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान या पोत पर पूर्णतः या भागतः ;

(ख) जब अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला आचरण पूर्णतः भारत के बाहर होता है और अपराध निम्नलिखित द्वारा किया जाता है :

(i) ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है ;

(ii) ऐसा व्यक्ति जो भारत का स्थायी निवासी है ; या

(iii) ऐसा व्यक्ति जो भारत की विधियों द्वारा या उसके अधीन निगमित कारपोरेट निकाय है ।

**स्प-टीकरण 1** खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “स्थायी निवासी” पद का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में है ।

**स्प-टीकरण 2.** जब अपराध गठित करने वाला आचरण पूर्णतः भारत के बाहर होता है तो इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आरंभ नहीं की जाएगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निहित करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के आरंभ के ऐसे किसी उपबंध में किसी प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा ।

## 2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “कन्वेंशन” से संयुक्त रा-ट्र समान सभा के 31 अक्टूबर, 2003 के

संकल्प 58/4 द्वारा अपनाया गया भ्र-टाचार विरोधी संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन अभिप्रेत है ;

(ख) “विदेश” से भारत से भिन्न देश अभिप्रेत है और निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) उस देश का कोई राजनीतिक उपखंड ;

(ii) उस देश की या उस देश के राजनीतिक उपखंड की सरकार और कोई विभाग या सरकार की शाखा ; और

(iii) उस देश का या उस देश के राजनीतिक उपखंड का कोई अभिकरण ;

(ग) : “विदेशी लोक पदधारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(i) ऐसा व्यक्ति जो विदेश का विधायी, कार्यपालिक, प्रशासनिक या न्यायिक पद धारण करता है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति जो विदेश का लोक कर्तव्य या लोक कृत्य का पालन करता है जिसके अंतर्गत किसी बोर्ड, आयोग, निगम या अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा नियोजित व्यक्ति जो विदेश की ओर से ऐसे कर्तव्य या कृत्य का पालन करने के लिए स्थापित है या ऐसा कर्तव्य या कृत्य का पालन कर रहा है ;

**स्प-टीकरण -** इस परिभा-ना के प्रयोजन के लिए :

(क) “लोक कर्तव्य” से ऐसा कर्तव्य अभिप्रेत है जिसके निर्वहन में राज्य, लोक या व्यापक समुदाय का हित है ; और

(ख) “लोक कृत्य” से विदेशी लोक पदधारी का इस प्रकार उसकी हैसियत में कार्य या कर्तव्य अभिप्रेत है ;

(घ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) “लोक अंतररा-ट्रीय संगभन के पदधारी” से ऐसा अंतररा-ट्रीय सिविल सेवक या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस संगठन की ओर से कार्य करने के लिए ऐसे संगठन द्वारा प्राधिकृत है ;

(च) “लोक अंतररा-ट्रीय संगठन” से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसके सदस्य निम्नलिखित में से कोई हैं :

- (i) देश या राज्यक्षेत्र ;
- (ii) देश या राज्यक्षेत्र की सरकारें ;
- (iii) अन्य लोक अंतररा-ट्रीय संगठन ; या
- (iv) उपरोक्त में से किसी का मिश्रण ।

(छ) “विशे-न न्यायाधीश” से भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 के अधीन नियुक्त विशे-न न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ज) “असम्यक् लाभ” से कोई प्ररितो-ण फायदा या लाभ संपत्ति या ऐसी संपत्ति में हित, इनाम, फीस, मूल्यवान प्रतिभूति या दान या कोई अन्य मूल्यवान चीज (विधिक पारिश्रमिक से भिन्न), चाहे धनीय या गैर-धनीय, मूर्त या अमूर्त अभिप्रेत है ।

**स्प-टीकरण :** इस परिभा-ना के प्रयोजन के लिए “विधिक पारिश्रमिक” विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है बल्कि यह ऐसे सभी पारिश्रमिक को सम्मिलित करता है जो विदेश या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन द्वारा जिसका वह पालन करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभा-नित नहीं हैं किंतु भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन परिभा-नित हैं का वही अर्थ होगा, जो उस अधिनियम में है ।

## अध्याय 2

विदेशी पदधारियों और लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारियों की रिश्वतखोरी के अपराध और शास्तियां

3. विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारी द्वारा परितो-ण स्वीकार करने का प्रतिनेध ।

जो कोई, विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन का पदधारी होते हुए



साशय किसी व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई असम्यक् लाभ अपने पदीय कर्तव्यों, पक्ष लेने या किसी व्यक्ति या सत्ता का पक्ष न लेने के प्रयोग में या किसी व्यक्ति या सत्ता को कोई सेवा देने या सेवा न देने के लिए प्रयत्न करने के लिए कोई पदीय कार्य करने या विरत रहने के लिए स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या किसी व्यक्ति से स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्-न से कम का नहीं होगा किंतु जो सात वर्-न तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

**4. विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठनों के पदधारी को परितो-गण देने का प्रति-नेध :** जो कोई अंतररा-ट्रीय कारबार के संचाल के संबंध में कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने या उससे संबंधित कोई लाभ अभिप्राप्त करने के लिए साशय स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता के लिए इसलिए कि ऐसा पदधारी अपने पदीय कर्तव्य का प्रयोग करे या करने से विरत रहे । किसी विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को कोई असम्यक् लाभ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रस्तावित करता है या प्रस्ताव करने का वादा करता है, देता है या देने का वादा करता है, वह ऐसी अवधि की कारावास से जो तीन वर्-न से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्-न तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

#### **5. दु-प्रेरण**

जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध के किए जाने का दु-प्रेरण करता है ऐसी अवधि जो तीन वर्-न से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्-न तक की हो सकेगी के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

#### **6. प्रयत्न**

जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध करने का प्रयत्न करता है, ऐसी अवधि की कारावास से जो एक वर्-न से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्-न तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

#### **7. कतिपय परिस्थितियों में अपराध का दो-नी न पाए जाने वाले व्यक्ति ।**

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति अपराध का दो-नी नहीं है यदि किसी लाभ का प्रस्ताव करता है, वादा करता है या देता है, जो विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी को किया गया था, ऐसे विदेशी

लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी द्वारा या उसकी ओर से उपगत यात्रा और निवास व्यय जैसे युक्तियुक्त और सद्भाविक व्यय था और प्रत्यक्षतः निम्नलिखित से संबंधित था :

(क) उत्पाद या सेवाओं के संवर्धन प्रदर्शन या स्प-टीकरण ; या

(ख) विदेश या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के साथ संविदा के नि-पादन या पालन ।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दो-नी नहीं है यदि विदेश या लोक अंतररा-द्रीय संगठन जिसके लिए विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन का पदधारी कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करता है, की विधियों के अधीन किसी लाभ का प्रस्ताव, वादा या दिया जाना अनुज्ञात है ।

(3) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दो-नी नहीं है यदि विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठ के पदधारी द्वारा ऐसे नैमित्तिक प्रकृति के किसी कार्य के जो विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-द्रीय संगठन के पदधारी के कर्तव्यों या कृत्यों का भाग है द्वारा पालन में शीघ्रता करने या सुनिश्चित करने के लिए किसी लाभ का प्रस्ताव, वादा या कोई लाभ दिया जाता है, जैसे :

(क) किसी व्यक्ति को कोई कारबार करने के लिए अर्ह बनाने हेतु परमिट, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज का जारी किया जाना ;

(ख) वीजा या संकर्म परमिट जैसे शासकीय दस्तावेजों की कार्यवाही आरंभ करना ;

(ग) डाक उठाने और परिदान, दूर संचार सेवाएं और बिजली तथा जल प्रदाय जैसी आम जनता को सामान्यतः प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपबंध ; और

(घ) पुलिस संरक्षण, कार्गो की चढ़ाई और उतराई, क्षय योग्य उत्पादों या वस्तुओं का न-ट होने से संरक्षण या संविदा पालन या मालों के पारे-ण से संबंधित निरीक्षणों के नियतन जैसी यथापेक्षित सामान्यतः उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था ।

**स्प-टीकरण :** शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्प-ट किया जाता है कि

इस बारे में विनिश्चय की क्या नया कारबार अधिनर्णीत किया जाए या किसी विशि-ट व्यक्ति के साथ विद्यमान कारबार जारी रखा जाए ; या ऐसे नए या विद्यमान कारबार के निबंधन, को उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए नैमित्तिक प्रकृति का कोई कार्य नहीं समझा जाएगा ।

#### 8 इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए वाणिज्यिक संगठनों का दायित्व :

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है और ऐसा अपराध वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया साबित होता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी अपराध का दो-नी होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने का दायी होगा और ऐसे कारावास जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए विहित उपबंध से कम नहीं होगा से दंडनीय होगा ।

(3) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वाणिज्यिक संगठन अपराध का दो-नी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु, वाणिज्यिक संगठन के यह साबित करने का प्रतिरक्षा होगा कि उसने अपने साथ सहबद्ध व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं विहित की थीं ।

(4) केंद्रीय सरकार वाणिज्यिक संगठनों द्वारा इस धारा के अनुपालन को बढ़ाने की दृष्टि से पर्याप्त प्रक्रियाएं जो आवश्यक हों के बारे में परामर्श प्रक्रिया का पालन कर जिसमें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सभी हितबद्ध पणधारियों के विचार अभिप्राप्त किए जाएं के पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए :

(क) “वाणिज्यिक संगठन” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(i) ऐसा निकाय जो भारत में निगमित है और जो भारत में या भारत के बाहर कारबार करता है :

(ii) कोई अन्य निकाय जो भारत के बाहर निगमित है और जो भारत के किसी भाग में कारबार या कारबार का कोई भाग करता है ;

(iii) भारत में गठित भागीदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम और जो भारत में या भारत के बाहर कारबार करता है ; या

(iv) कोई अन्य भागीदारी या व्यक्तियों का संगम जो भारत के बाहर व्यथित है और जो भारत के किसी भाग में कारबार या कारबार का भाग करता है ;

(ख) “कारबार” में व्यापार या वृत्ति या पूर्त सेवा सहित सेवा उपलब्ध कराना सम्मिलित है ;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कहा जाता है यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी आचरण पर ध्यान दिए बिना ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है ।

**स्प-टीकरण 1.** ऐसी क्षमता जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है इसको ध्यान दिए बिना कि ऐसा व्यक्ति ऐसे वाणिज्यिक संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुसंगी है, महत्वपूर्ण नहीं होगा ।

**स्प-टीकरण 2.** इस धारा के प्रयोजन के लिए, “अभिकर्ता” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (1872 का 9) की धारा 182 के अधीन इसका है ।

**स्प-टीकरण 3.** चाहे व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है, का अवधारण सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रतिनिर्देश द्वारा न की मात्र ऐसे व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच संबंध की प्रकृति के प्रतिनिर्देश द्वारा किया जाए ।

**स्प-टीकरण 4.** यदि व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है प्रतिकूल साबित न होने तक यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाओं का पालन करता है ।

## 9. विदेश के साथ करार

केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए भारत के बाहर किसी देश की सरकार से करार कर सकेगी -

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त कराने ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्समानी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए जानकारी या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित मामलों के अन्वे-ण के आदान-प्रदान के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो करार के क्रियान्वयन के लिए (पारस्परिक सहायता सहित) आवश्यक हो ।

## 10. कतिपय मामलों में संबद्ध राज्य को अनुरोधपत्र ।

(1) इस अधिनियम में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वे-ण या अन्य कार्यवाहियों के अनुक्रम में अन्वे-क अधिकारी या अन्वे-क अधिकारी की पंक्ति से वरि-ठ किसी अधिकारी द्वारा विशेष- न्यायाधीश को आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वे-ण या कार्यवाहियों के संबंध में किसी साक्ष्य की अपेक्षा है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संबद्ध राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष- न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार समाधान होने पर कि ऐसे साक्ष्य की इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों या अपराध के अन्वे-ण के संबंध में अपेक्षा है तो ऐसे अनुरोध के बारे में संबद्ध संबद्ध राज्य के सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय को अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा -

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करने ;

(ii) ऐसे उपाय करने जो विशेष- न्यायाधीश ऐसे अनुरोधपत्र में विनिर्दि-ट करे, और

(iii) ऐसा अनुरोधपत्र जारी कर विशेष- न्यायाधीश को इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्य को अग्रे-नित करने ।

(2) अनुरोधपत्र ऐसी रीति में पारित किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार इस बावत विनिर्दि-ट करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या वस्तु को अन्वेषण के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य समझा जाएगा ।

## 11. कतिपय मामलों में संबद्ध राज्य को सहायता ।

जहां केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या कार्यवाहियों के लिए अनुरोध करने वाले संबद्ध राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी से उसके संबंध में कोई साक्ष्य ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को अग्रसारित करने के लिए अनुरोधपत्र प्राप्त होता है । वहां केंद्रीय सरकार अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश या किसी प्राधिकारी को जैसा वह ठीक समझे इस अधिनियम या यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे अनुरोध के नि-पादन के लिए ऐसा अनुरोधपत्र अग्रसारित कर सकेगी ।

## 12. अभियुक्त व्यक्तियों के अंतरण के लिए प्रक्रियाओं और सहायता के लिए पारस्परिक ठहराव ।

(1) जहां विशेष न्यायाधीश धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में उसके द्वारा जारी निम्नलिखित की वांछ करता है :

(क) अभियुक्त व्यक्ति का समन करता है ; या

(ख) अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उसे उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन करता है या उसे पेश करने के लिए समन करता है ; या

(घ) तलाशी वारंट जारी करता है,

वहां यह किसी संबद्ध राज्य के किसी स्थान पर तामील या नि-पादित किया जाएगा, वह ऐसे प्ररूप में ऐसे समन या वारंट को द्वितीयक प्रति में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारियों के माध्यम से भेजेगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दि-ट करे और यथास्थिति न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इसे नि-पादित करवाएगा ।

(2) जहां विशेष न्यायाधीश को धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में संबद्ध राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा -

(क) अभियुक्त व्यक्ति का समन करता है ; या

(ख) अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उसे उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन करता है या उसे पेश करने के लिए समन करता है ; या

(घ) तलाशी वारंट जारी करता है,

की तामीली या नि-पादन के लिए प्राप्त होता है वहां वह इसकी तामीली या नि-पादन करवाएगा मानो ये उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर तामीली या नि-पादन के लिए उक्त राज्यक्षेत्रों के अन्य न्यायालय से उसके द्वारा प्राप्त समन या वारंट हैं ; और जहां -

(i) गिरफ्तारी का वारंट नि-पादित हो गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विनिर्दि-ट प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा ;

(ii) तलाशी वारंट नि-पादित की गई है, इस तलाशी में वस्तुएं पाई गई हैं जहां तक संभव हो, विचार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विनिर्दि-ट प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा :

परंतु ऐसे मामले में संबद्ध राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट नि-पादित किया गया है, दस्तावेज या अन्य वस्तुएं पेश की गई हैं या तलाशी में वस्तुएं पाई गई हैं को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को अग्रेसित किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दि-ट करे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अनुसरण में संबद्ध राज्य को अंतरित व्यक्ति भारत में कैदी है वहां विशेष न्यायाधीश या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में भारत को अंतरित व्यक्ति संबद्ध राज्य में कैदी है वहां भारत का विशेष न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी शर्तें जिसके अधीन कैदी को भारत को अंतरित किया गया है, का पालन किया गया है और ऐसा कैदी ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा जो केंद्रीय

सरकार लिखित में निदेश करे ।

### 13. अनुरोधपत्र की बावत प्रक्रिया ।

इस अध्याय के अधीन संबद्ध राज्य को पारेनित किए जाने के लिए प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार को प्राप्त प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट संबद्ध राज्य को पारेनित किया जाएगा या यथास्थिति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में भारत के संबद्ध न्यायालय को भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस बावत विनिर्दि-ट करे ।

### 14. संबद्ध राज्य या भारत में संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और अधिहरण, आदि ।

(1) जहां संपत्ति का केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पर संबद्ध राज्य में होने का संदेह होता है वहां विशेष- न्यायाधीश संबद्ध राज्य में संपत्ति की कुर्की या अधिहरण के नि-पादन के लिए संबद्ध राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा संबद्ध राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी से धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराध के करने से या उस संबद्ध राज्य में किए गए अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति द्वारा व्युत्पन्न या अभिप्राप्त भारत में संपत्ति की कुर्की या अधिहरण का अनुरोध करते हुए अनुरोधपत्र प्राप्त होता है वहां केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि-पादन के लिए विशेष- न्यायाधीश को ऐसा अनुरोधपत्र अग्रसारित कर सकेगी ।

(3) विशेष- न्यायाधीश उपधारा (2) के अधीन अनुरोधपत्र की प्राप्ति पर किसी प्राधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठान का निदेश देगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दि-ट उपायों में किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्थान की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत मामलों की बावत कोई जांच, अन्वे-ण या सर्वेक्षण सम्मिलित हो सकेगा ।

(5) उपधारा (4) में निर्दि-ट कोई जांच, अन्वे-ण या सर्वेक्षण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी ऐसे निदेशों के अनुसार उपधारा (3) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।



**15. दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1994 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना ।**

इस अधिनियम या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाए दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश 38) जो भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 29 द्वारा संशोधित है, के उपबंध यथावश्यक इस अधिनियम के अधीन संपत्ति की कुर्की या अधिहरण के आदेश के नि-पादन और कुर्कीगत संपत्ति के कुर्की, प्रशासन को लागू होंगे।

**16. 1988 के अधिनियम 49 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।**

इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधि के सिवाए भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाए गए नियमों (जिसके अंतर्गत अध्याय 2 के अधीन विशेष-न्यायाधीशों की नियुक्ति और उस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन बैंकर के बही के निरीक्षण और मामलों के अन्वे-नण से संबंधित उपबंध हैं), के उपबंध यथावश्यक इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में लागू होंगे जैसे वे भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध के संबंध में लागू होते हैं ।

**17. सेना, नौसेना और वायु सेना या अन्य विधियों का प्रभावित न होना ।**

(1) इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47), तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) और रा-ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता या लागू प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घो-नित किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दि-ट किसी ऐसी विधि के प्रयोजन के लिए विशेष-न्यायाधीश का न्यायालय मामूली दंड अधिकारिता का न्यायालय समझा जाएगा ।

**18. अपील और पुनरीक्षण**

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यावत साध्य जहां तक लागू हैं, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय को अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो विशेष-न्यायाधीश के न्यायालय उच्च न्यायालय के स्थानीय सीमाओं के भीतर मामले का विचारण करने

वाले सेशन न्यायालय हैं ।

### **19. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना ।**

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न की उसके अल्पीकरण में ।

**20. इस अधिनियम के अधीन विदेशी पदधारी के विरुद्ध जिसको किसी विधि या कन्वेंशन के अधीन विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं या संधि लागू होती है के विरुद्ध संबद्ध राज्य के परामर्श से कार्यवाही किया जाना ।**

यदि किसी विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के पदधारी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध का किया जाना अभिकथित है जिसको संयुक्त रा-ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 या अंतररा-ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 या अंतररा-ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1960 या कूटनीतिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या किसी कन्वेंशन या संधि के अधीन कतिपय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लागू होती हैं, तो केंद्रीय सरकार यथास्थिति संबद्ध राज्य या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन के परामर्श से ऐसे लोक पदधारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी ।

### **21. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कतिपय उपांतरणों के अधीन लागू होना ।**

इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाए भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 22 द्वारा यथा संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही से संबंधित उनके उपयोजन को प्रभावित नहीं करेंगे ।

### **22. नियम बनाने की शक्ति ।**

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-यों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन वाणिज्यिक संगठनों द्वारा धारा 8 के उपबंधों का अनुपालन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना ;

(ख) कोई अन्य विनय जो विहित किया गया है या विहित किया जाए या जिसकी बावत नियमों द्वारा उपबंध बनाया गया है या बनाया जाए ।

### **23. संसद् के समक्ष नियमों और अधिसूचना का रखा जाना ।**

केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभाव होने से उसके अदिन पहले की गई किसी बात विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### **24. कतिपय अधिनियमों का संशोधन**

इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दि-ट अधिनियमितियों का संशोधन उसमें विनिर्दि-ट रीति से किया जाएगा और ऐसे संशोधन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रभावी होंगे ।

अनुसूची

(धारा 24 देखें)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(1988 का 49)

### धारा 3 का संशोधन

धारा 3 के उपधारा (1) के खंड (क) में “इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध” शब्दों के स्थान पर इस अधिनियम या विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वतखोरी निवारण अधिनियम, 2015 के अधीन दंडनीय किसी अपराध” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

### भाग 2

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002

(2003 का 15)

### अनुसूची का संशोधन

अनुसूची की भाग क में पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“पैरा 8क”

विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी रिश्वतखोरी निवारण अधिनियम, 2015

| धारा | अपराधों का विवरण  |
|------|---|
| 3    | विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी द्वारा परितो-ण स्वीकार करने का प्रति-नेध |
| 4    | विदेशी लोक पदधारी या लोक अंतररा-ट्रीय संगठन पदधारी द्वारा परितो-ण स्वीकार करने का प्रति-नेध |
| 5    | दु-प्रेरण   |
| 6    | प्रयत्न   |